"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2026—आषाढ़ 26, शक 1948

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/9406/2026/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 585/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2008/23445 दिनांक 05–02–2026 द्वारा डॉ. सी.व्ही. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर का संशोधित अध्यादेश क्रमांक 140(A) का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हैं।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS/9406/2026/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/23457 दिनांक 05–02–2026 द्वारा ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ का संशोधित अध्यादेश क्रमांक 32(A) का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद् द्वारा, उपरोक्त अध्यादेश को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हैं।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप–सचिव.

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक–32 (A)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के अनुदेश के लिए न्यूनतम मानदण्ड) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुसार स्नातक–पूर्व उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए अध्यादेश।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः**

1.1 इस अध्यादेश को ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि और स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने संबंधी अध्यादेश कहा जाएगा। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विनियमित कार्यक्रम इस अध्यादेश के दायरे से बाहर होंगे।

1.2 यह अध्यादेश शैक्षणिक सत्र 2025–26 से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर से लागू होगा।

1.3 अध्यादेश के प्रावधान चार वर्षीय (आठ सेमेस्टर) स्नातक डिग्री (ऑनर्स/शोध सहित ऑनर्स) कार्यक्रम, तीन वर्षीय (छह सेमेस्टर) स्नातक डिग्री कार्यक्रम, दो वर्षीय स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम, एक वर्षीय स्नातक प्रमाणपत्र कार्यक्रम, दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम, एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम और एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम पर लागू होंगे। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नानुसार होंगेः

स.क्र.	संकाय का नाम	कार्यक्रम का नाम
(1)	(2)	(1)
1	इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संकाय	**बी.टेक. / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी** -सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग), कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (साइबर सिक्योरिटी), कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (डेटा साइंस), कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स), मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग (रोबोटिक्स एंड ए.आई.), मैकेनिकल इंजीनियरिंग (मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन), मेटलर्जिकल एंड मैटेरियल्स इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (एनर्जी टेक्नोलॉजी), इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पावर टेक्नोलॉजी. **एम.टेक. / मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी**-स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम्स, मैन्युफ़ैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट, हीट पावर एंड थर्मल इंजीनियरिंग, मैटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मैटेरियल टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,

2	विज्ञान संकाय	**बी.एससी. / बैचलर ऑफ साइंस** **एम.एससी. / मास्टर ऑफ साइंस**-फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मॉलेक्यूलर बायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स, फ़ॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, होम साइंस
3	मैनेजमैंट विज्ञान संकाय	**बी.कॉम. / बैचलर ऑफ कॉमर्स** **बी.बी.ए. / बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन** **बी.ए. (इकोनॉमिक्स) / बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स** **एम.बी.ए. / मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन** **एम.कॉम. / मास्टर ऑफ कॉमर्स**
4	शिक्षा संकाय	**बी.ए.** **एम.ए. (शिक्षा)**

2. **परिभाषाएं** — इस अध्यादेश में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

I. **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, समय समय पर यथा संशोधित;

II. **"शैक्षणिक परिषद"** से अभिप्रेत विश्वविद्यालय में सभी शैक्षणिक मामलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सशक्त निकाय से है;

III. **"शिक्षा वर्ष"** से अभिप्रेत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी से फरवरी अथवा जुलाई से अगस्त माह, जैसा मामला हो, में शुरू होने वाली बारह माह की अवधि से है;

IV. **"अवार्ड"** से अभिप्रेत किसी छात्र द्वारा अर्हता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने पर सक्षम निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली अर्हता जैसे प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री से है;

V. **"अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)"** से अभिप्रेत एक डिजिटल, आभासी या ऑनलाइन इकाई के रूप में शैक्षणिक सेवा तंत्र, जिसे आयोग केन्द्र सरकार के अनुमोदन से स्थापित किया गया है, ताकि छात्रों को इसके अकादमिक खाताधारक बनने में सुविधा प्राप्त हो, जिससे विस्तीर्ण और लचीले सभी से शिक्षण – ज्ञान अर्जन को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट मान्यता, क्रेडिट संचय, क्रेडिट अंतरण और क्रेडिट मोचन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से डिग्री प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच अथवा उनके भीतर निर्बाध छात्र गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त है;

VI. **"मूल्यांकन बैंड"** से अभिप्रेत एनसीआरएफ के अनुसार दो अनिवार्य चरणों के बीच स्तरों को जोड़ना। एनसीआरएफ स्तरों को मूल्यांकन चरण के बराबर माना जाता है जिसे छात्र/विद्यार्थी के लिए पास करना एक अनिवार्य चरण होगा;

VII. **"अर्धवार्षिक प्रवेश"** से अभिप्रेत वर्ष में दो बार अर्थात जुलाई/अगस्त और जनवरी/फरवरी में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया से है;

VIII. **"सीजीपीयूआरसी"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग;

IX. **"चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस)"** से अभिप्रेत है एक ऐसी प्रणाली जिसमें छात्र अपनी पंसद के पाठ्यक्रम का चयन कर सकते है, अपनी गति से सीख सकते है, अतिरिक्त पाठ्यक्रम का अध्ययन कर आवश्यक क्रेडिट से अधिक क्रेडिट प्राप्त कर सकते है और वैधानिक निकाय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अंतःविषय दृष्टिकोण अपना सकते है;

X. **"आयोग"** से अभिप्रेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से है;

XI. **"कोर्स" से अभिप्रेत निर्दिष्ट इकाइयों** में से एक जो अध्ययन के एक निर्दिष्ट कार्यक्रम को सम्मिलित करने से है;

XII. **"क्रेडिट"** से अभिप्रेत "राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) में यथा परिभाषित एक सेमेस्टर की अवधि में प्रति सप्ताह आवश्यक निर्देश के घंटों की संख्या से है;

XIII. **"क्रेडिट पॉइंट"** से अभिप्रेत किसी पाठ्यक्रम के लिए ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट संख्या का गुणनफल से है;

XIV. **"क्रेडिट अपेक्षाओं"** से अभिप्रेत किसी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए निर्धारित मॉंग से है। क्रेडिट अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले छात्र का अर्थ है कि उसने पाठ्यक्रम/कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;

XV. **"क्रेडिट अंतरण"** से अभिप्रेत उस तंत्र से है जिसके द्वारा एबीसी के साथ पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान ऑफलाइन/ऑनलाइन/निजी/आरपीएल पद्धति के माध्यम से छात्रों द्वारा पूर्ण किये गये पाठ्यक्रमों/प्राप्त अनुभवो के मानदण्डों का पालन करते हुए व्यक्तिगत शैक्षणिक बैंक खातों में निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने या प्रदान करने में सक्षम है;

XVI. **"संचयी ग्रेड पॉइंट औसत (सीजीपीए)"** से अभिप्रेत सभी सेमेस्टर में एक छात्र के समग्र संचयी प्रर्दशन का माप। सीजीपीए संबंधित सेमेस्टर तक पंजीकृत विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट पॉइंट और संबंधित सिमेस्टर में सभी पंजीकृत पाठ्यक्रमों के कुल क्रेडिट पॉइंट के योग का अनुपात है। इसे दो दशमलव स्थानों तक व्यक्त किया जायेगा;

XVII. **"उपाधि" या "डिग्री"** से अभिप्रेत यूजीसी अधिनियम की धारा 22(3) के उपबंधों के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदान की गई डिग्री से है;

XVIII. **"डूयल डिग्री"** से अभिप्रेत एक उच्च शिक्षा संस्थान या एक से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों से दो अलग अलग डिग्री अर्जित करने से है;

XIX. **"शासन"** से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ शासन से है;

XX. **"ग्रेड पॉइंट"** से अभिप्रेत 10 पॉइंट स्केल पर या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक ग्रेड के लिए आबंटित संख्यात्मक भार से है;

XXI. **"ग्रेड सीट"** से अभिप्रेत किसी शिक्षार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड के आधार पर प्राप्त एक प्रमाण पत्र से है। ग्रेड शीट में पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, प्राप्त ग्रेड) के साथ-साथ सेमेस्टर का एसजीपीए और उस सेमेस्टर तक अर्जित सीजीपीए सम्मिलित होगा। अंतिम सेमेस्टर ग्रेड शीट में आवंटित अधिकतम अंकों में से सभी सेमेस्टर में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का संचयी योग भी प्रदर्शित होगा, जिसके लिए पाठ्यक्रम के ग्रेड का मूल्यांकन किया गया था। हालाँकि, अंतिम परिणाम ग्रेड/सीजीपीए पर आधारित होगा;

XXII. **"उच्च शिक्षण संस्थान"** से अभिप्रेत ऐसे उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (एचईआईस) से है, जिसे यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अनुसार स्वयं या अपने संबद्ध विश्वविद्यालयों के माध्यम से डिग्री प्रदान करने का अधिकार से है;

XXIII. **"ज्ञानअर्जन निष्कर्ष"** से अभिप्रेत किसी शिक्षार्थी द्वारा ज्ञानअर्जन की प्रक्रिया और अध्ययन के कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के पूरा होने पर वह क्या जानता है, समझता है और क्या करने में सक्षम है, के विवरण से है;

XXIV. **"अक्षर ग्रेड"** से अभिप्रेत किसी पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का सूचकांक से है। अक्षर ग्रेड को अक्षर– O, A⁺, B⁺, B, C, P, F, एवं AB से प्रदर्शित किया जाता है;

XXV. **"स्तर"** से अभिप्रेत अनुक्रमिक चरणों की एक श्रृंखला से है, जैसा कि "राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)" में दिया गया है, जिसे ज्ञानअर्जन के परिणामों की एक श्रृंखला के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जिसके समक्ष विशिष्ट अर्हताएं रखी जाती है/स्थित होती है;

XXVI. **"वृहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी)"** से अभिप्रेत ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से है जो "फोर क्वाड्रेन्ट एप्रोच" का पालन कर शिक्षण पद्धति के अनुसार विकसित किये जाते है;

XXVII. **"बहुस्तरीय प्रवेश एवं निर्गमन"** से अभिप्रेत एक सक्षम तंत्र से है जिसके अन्तर्गत शिक्षार्थी किसी भी स्तर पर कार्यक्रम से निर्गमित होकर पुनः प्रवेश ले सकता है, ताकि वह निर्धारित अवधि के भीतर अपनी शिक्षा जारी रखते हुए उच्चतर योग्यता अर्जित कर सके;

XXVIII. **"नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)"** से अभिप्रेत प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण को सम्मिलित करते हुए एक व्यापक क्रेडिट ढांचा, जिसमें शैक्षणिक, व्यावसायिक कौशल और अनुभवात्मक शिक्षा जैसे विभिन्न आयामों में सीखने के क्रेडिटीकरण को एकीकृत किया गया है, जिसमें उपयुक्त अनुभव और प्रवीणता/पेशेवर स्तर शामिल है;

XXIX. **"राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता रूपरेखा"** से अभिप्रेत एक वर्णात्मक रूपरेखा से है जो ज्ञान/दक्षता/कौशल के स्तरो की श्रृंखला के अनुसार अर्हताओ को व्यवस्थित करती है;

XXX. **"ऑन लाइन पद्धति"** से अभिप्रेत इन्टरनेट, ई-लर्निंग सामग्री और प्रौद्योगिकी तंत्रों और संसाधनों का उपयोग करके इन्टरनेट के माध्यम से पूर्ण कार्यक्रम वितरण का उपयोग करके शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच के अन्तर को दूर करके लचीले ज्ञानअर्जन के अवसर प्रदान करने की एक पद्धति से है;

XXXI. **"मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पद्धति"** से अभिप्रेत विभिन्न प्रकार के मीडिया जिसमें प्रिन्ट, इलेक्ट्रानिक, ऑनलाइन और शिक्षार्थियों या शिक्षार्थी सहायता सेवाओं के साथ कभी-कभार होने वाली अन्तर्कियात्मक आमने – सामने की बैठके सम्मिलित है, जिसका उपयोग करके शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच के अन्तर को दूर करके लचीले शिक्षण के अवसर प्रदान करने की पद्धति से है, ताकि प्रयोगात्मक अथवा कार्य अनुभव सहित शिक्षण-ज्ञानअर्जन अनुभव किया जा सके;

XXXII. **"कार्यक्रम" अथवा "अध्ययन कार्यक्रम"** से अभिप्रेत यूजीसी अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत यूजीसी द्वारा विनिर्दिष्ट डिग्री के लिए अपनाया गया उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम से है;

XXXIII. **"सेमेस्टर"** से अभिप्रेत 14-20 सप्ताह के शिक्षण कार्य में फैला एक शैक्षणिक सत्र से है। जुलाई से शुरू होने वाले अकादमिक वर्ष के मामले में विषम सेमेस्टर सामान्यतः जुलाई से दिसम्बर तक और सम सेमेस्टर जनवरी से जुलाई तक निर्धारित किया जायेगा, और सम सेमेस्टर जनवरी से जुलाई तक निर्धारित किया जायेगा। जनवरी से शुरू होने वाले अकादमिक वर्ष के मामले में विषम सेमेस्टर सामान्यतः जनवरी से जुलाई तक और सम सेमेस्टर जुलाई से दिसम्बर तक निर्धारित किया जायेगा;

XXXIV. **"सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए)"** से अभिप्रेत किसी सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन का माप से है। यह एक सेमेस्टर में पंजीकृत विभिन्न कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त कुल क्रेडिट अंक और उस सेमेस्टर के सभी कोर्स के कुल क्रेडिट का अनुपात है। एसजीपीए को दो दशमलव अंको तक व्यक्त किया जायेगा;

XXXV. **"पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)"** से अभिप्रेत एक मूल्यांकन प्रक्रिया से है जिसे किसी व्यक्ति के कौशल, ज्ञान और औपचारिक या अनौपचारिक ज्ञानअर्जन अनुभव के माध्यम से अर्जित अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है;

XXXVI. **"छात्र"** से अभिप्रेत विश्वविद्यालय में किसी विशिष्ट क्रेडिट आधारित कोर्स/पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाला तथा अध्ययनरत व्यक्ति;

XXXVII. **"प्रतिलेख" या "ट्रान्सक्रिप्ट"** से अभिप्रेत पाठ्यक्रम के सफल समापन के पश्चात पाठ्यक्रम में सभी नामांकित छात्रों को जारी किये जाने वाले प्रमाण-पत्र से है। इसमें सभी सेमेस्टर का एसजीपीए और सीजीपीए सम्मिलित है;

XXXVIII. **"स्नातकपूर्व प्रमाण-पत्र"** से अभिप्रेत स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 1 वर्ष (2 सेमेस्टर) का अध्ययन पूर्ण करने के बाद प्राप्त प्रमाण-पत्र से है;

XXXIX. **"स्नातकपूर्व डिप्लोमा"** से अभिप्रेत किसी स्नातकपूर्व कार्यक्रम में अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) के अध्ययन पूर्ण करने के बाद प्रदान किये जाने वाले डिप्लोमा से है;

XL. **"विश्वविद्यालय"** से अभिप्रेत ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) से है।

3. प्रवेश के लिए पात्रता और सीटों की उपलब्धता –

क. किसी अभ्यर्थी, जिसने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से औपचारिक शिक्षा या मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से स्तर 4/कक्षा 12वीं की परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होगा। प्रवेश मेरिट के आधार पर तथा यूजीसी एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये गये प्रवेश नियमों एवं दिशानिर्देशों तथा विनियमों के अनुसार दिया जायेगा।

ख. कोई भी अभ्यर्थी, चाहे उसने स्तर 4/कक्षा 12वीं की स्कूली शिक्षा में कोई भी विषय लिया हों, यूजी प्रोग्राम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिये पात्र है, बशर्ते की यह यूजी प्रोग्राम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यदि विभिन्न विषयों के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, तो विश्वविद्यालय छात्रों के ज्ञान संबंधी अंतराल को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार ब्रिज कोर्स का प्रावधान करेगा।

ग. एक छात्र एक साथ दो यूजी कार्यक्रम कर सकता है और यूजीसी के पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए स्नातक कार्यक्रमों के लिए केडिट फ्रेमवर्क में दिए गए विषय/संस्थान/शिक्षण के तरीके में बदलाव के लचीलेपन के साथ दोहरी उपाधि अर्जित कर सकता है, और यूजीसी द्वारा एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम करने के लिए जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, एक छात्र दो शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है, एक पूर्णकालिक फिजिकल पद्धति में और दूसरा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से ओडीएल/ऑनलाइन पद्धति में, बशर्ते कि एक कार्यक्रम का समय–सारणी दूसरे कार्यक्रम के समय–सारणी के साथ अधिव्यापन न हो। इसके अलावा, ओडीएल/ऑनलाइन पद्धति के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ किए जायेगें, जिन्हें यूजीसी/वैधानिक परिषद, भारत सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए मान्यता प्राप्त है।

घ. नियमित पद्धति के अलावा अन्य विभिन्न पद्धति जैसे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति, ऑनलाइन पद्धति एवं आरपीएल पद्धति से ज्ञानअर्जन एक अच्छी तरह से परिभाषित मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से केडिट योग्य होगा और यह समय–समय पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति/ऑनलाइन पद्धति और आरपीएल के संबंध में यूजीसी द्वारा अधिसूचित दिशा निर्देशों/विनियमों के अधीन होगा।

ङ. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का विश्वविद्यालय में "भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश और अतिरिक्त सीटों के लिए दिशा निर्देश", समय–समय पर संशोधित, के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। विश्वविद्यालय कुल स्वीकृत पदों के अलावा केवल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त सीटे सृजित कर सकता है जिसमें एक्सचेंज कार्यक्रमों के तहत या विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य या भारत सरकार और अन्य देशों के मध्य समझौता ज्ञापन एमओयू के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय छात्र सम्मिलित नहीं होंगे। विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा धारित प्रवेश योग्यता की समकक्षता के आधार पर प्रवेश देगा, जिसका निर्धारण यूजीसी या यूजीसी द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य निकाय या देश के संबंधित नियामक निकाय द्वारा किया जायेगा।

च. औपचारिक शिक्षा के बाहर या कार्यस्थल या समुदाय में शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा, पूर्व में प्राप्त शिक्षा के परिणामों के सत्यापन पर आधारित होगी। किसी विशेष पेशे में अनुभव और विशेषज्ञता वाले ऐसे छात्र का मूल्यांकन विश्वविद्यालय

द्वारा यूजीसी के "उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा (आरपीएल) की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश", समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार किया जायेगा।

छ. किसी भी कार्यक्रम में सामान्यतः छात्रों का नामांकन प्रति सेक्शन 60 सीटों तक सीमित होगा। तथापि, यदि उपयुक्त नियामक निकायों द्वारा पहले से ही अधिक सीटों की स्वीकृति दे दी गई है, तो प्रति सेक्शन सीटों की संख्या नियामक निकायों द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार होगी। किसी कार्यक्रम में अधिक प्रवेश की माँग होने पर, विश्वविद्यालय सीजीपीयूआरसी को सूचित करते हुए और सेक्शन खोल सकता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ज. शैक्षणिक और भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं चतुर्थ वर्ष में, सीजीपीयूआरसी को सूचना देने के उपरान्त, पात्र पार्श्व प्रवेशकों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत सीटे निर्धारित की जा सकती है, यदि छात्र ने उसी कार्यक्रम के क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अध्ययन में अंतराल के बाद कार्यक्रम में पुनः प्रवेश लेना चाहता है।

झ. सभी कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जून/जुलाई से प्रारम्भ होगीं। तथापि, यूजीसी द्वारा परिकल्पित "अर्धवार्षिक प्रवेश" के मद्देनजर, कुछ परिस्थितियों में, विश्वविद्यालय दिसम्बर/जनवरी माह में भी ऐसे कार्यक्रमों में प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकता है जिनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढॉचा और शिक्षक उपलब्ध हों और सीजीपीयूआरसी से अनुमोदन प्राप्त हो।

ञ. सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सूचना विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट और अन्य उपयुक्त स्थानों पर प्रकाशित की जायेगी, जिसमें आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन पत्र जमा करने का तरीका, उपलब्ध सीटों की संख्या, पात्रता मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, कार्यक्रम की अवधि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

ट. निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति के अधीन, एकाधिक प्रवेश और निकास बिन्दुओं का प्रावधान होगा, जैसा कि इस अध्यादेश में आगे वर्णित किया गया है।

ठ. शैक्षणिक कार्यक्रमों में एकाधिक प्रवेश और निर्गम बिन्दुओं को समर्थ करने के लिये, प्रमाण–पत्र, डिप्लोमा और डिग्री जैसी योग्यताएं स्तर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने स्तर 4.5 से स्तर 6 – स्तर 4.5 प्रमाण–पत्र, स्तर 5 डिप्लोमा, स्तर 5.5 स्नातक उपाधि, एवं स्तर 6 स्नातक डिग्री (ऑनर्स/शोध सहित ऑनर्स)/बी.टेक./बी.ई./पीजी डिप्लोमा हेतु निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता संबंधी जानकारी तथा प्रवेश और निर्गम बिन्दुओं की जानकारी तालिका–1 में दी गई है।

ड. कार्यक्रमों में प्रवेश के लिये आवश्यक दस्तावेज (स्थानांतरण प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/अंकसूची/प्रवासन प्रमाण–पत्र आदि) ऐसे होगें जो कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर उपयुक्त निकायो द्वारा जारी गाइड–लाइन/निर्दशों के अनुसार निर्धारित किये जाएंगे।

4. डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र का नामकरण और क्रेडिट आवश्यकताएं –

क. **स्नातकपूर्व प्रमाण–पत्रः** यदि कोई छात्र प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्रस्थान का विकल्प चुनता है और कम से कम 40 केडिट प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्नातक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा, बशर्ते उसने द्वितीय सेमेस्टर पूरा होने के बाद अर्जित केडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4 क्रेडिट का कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया हो। उसे तीन वर्षो के भीतर डिग्री कार्यक्रम में पुनः प्रवेश करने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षो की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

ख. **स्नातकपूर्व डिप्लोमा:** यदि कोई छात्र द्वितीय वर्ष (चार सेमेस्टर) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्रस्थान का विकल्प चुनता है और कम से कम 80 क्रेडिट प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्नातक डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा, बशर्ते उसने चार सेमेस्टर पूर्ण करने के बाद अर्जित क्रेडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4 क्रेडिट का कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया हो। उसे तीन वर्षो के भीतर डिग्री कार्यक्रम में पुनः प्रवेश करने और निर्धारित अधिकतम सात वर्षो की अवधि के भीतर डिग्री कार्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है।

ग. **तीन वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री:** जो छात्र तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम करना चाहता है, उसे तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने, 120 क्रेडिट प्राप्त करने और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकतओं की पूर्ति करने पर उसे यूजी डिग्री विथ मेजर प्रदान की जायेगी।

घ. **चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स):** प्रमुख विषय में चार वर्षीय स्नातकपूर्व ऑनर्स डिग्री उस छात्र को प्रदान की जायेगी जो 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय डिग्री कार्यक्रम पूरा करता है और न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता की पूर्ती करता है।

ङ **चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स एवं शोध):** जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त कर स्नातक स्तर पर शोध करना चाहता है, वह चौथे वर्ष में शोध विषय का चयन कर सकता है। उसे विश्वविद्यालय के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना होगा। शोध परियोजना/शोध प्रबंध मुख्य विषय में करना होगा। शोध परियोजना/शोध प्रबंध में 12 क्रेडिट सहित 160 क्रेडिट अंक प्राप्त करने वाले छात्र को स्नातक उपाधि (ऑनर्स एवं शोध) प्रदान की जायेगी।

च. **एकल विषय के साथ स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम:** तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री के लिये प्रमुख विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्र को एकल विषय के साथ स्नातकपूर्व डिग्री प्रदान किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत क्रेडिट के लिए छात्र कौशल पाठ्यक्रम/प्रशिक्षुता और बहुविषयक विषय का चयन कर सकेगा।

छ. **डबल मेजर के साथ स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम:** जो तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री के लिए प्रमुख विषय मे न्यूनतम 40 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करता है उसे डबल मेजर प्रदान किया जायेगा।

ज. **अंतःविषयक स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम में मुख्य पाठ्यक्रमों के क्रेडिट घटक विषय/विषय के बीच वितरित किये जायेंगे ताकि अंतःविषयक कार्यक्रम में मुख्य दक्षताएं प्राप्त की जा सके।

झ. **बहुविषयक स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम:** बहुविषयक अध्ययन कार्यक्रम का अनुसरण करने वाले छात्र के लिये, कोर पाठ्यक्रमों के क्रेडिट विषयों जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणितीय और कम्प्यूटर विज्ञान, डेटा विश्लेषण, सामाजिक विज्ञान आदि के बीच वितरित किये जायेंगे।

नोटः–

अ) सभी कार्यक्रमों का नामकरण यूजीसी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

ब) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख श्रेणी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों की सूची और डबल मेजर, अंतःविषयक और बहुविषयक कार्यक्रमों के लिये क्रेडिट वितरण पर निर्णय लिया जायेगा। प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिये न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएँ नीचे तालिका के रूप में दी गयी हैं।

तालिका 1: योग्यता का प्रकार एवं केडिट की आवश्यकतायें

स. क्र.	एनएचइक्यूएफ स्तर	योग्यता का शीर्षक/नामकरण	क्रेडिट आवश्यकताएं (न्यूनतम)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लेवल 4.5	स्नातकपूर्व प्रमाण–पत्र (सीखने/विषय के क्षेत्र में) उन छात्रों के लिए जो स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पहले वर्ष (2 सेमेस्टर) के बाद निकास करते हैं। (कार्यक्रम की अवधि : स्नातकपूर्व कार्यक्रम का पहला वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
2	लेवल 5	स्नातकपूर्व डिप्लोमा (सीखने/विषय के क्षेत्र में) उन छात्रों के लिए जो स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पहले दो वर्षों (4 सेमेस्टर) के बाद निकास करते हैं। (कार्यक्रम की अवधि : स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पहले दो वर्ष या 4 सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
3	लेवल 5.5	स्नातकपूर्व डिग्री (उदाहरणः कला स्नातक; विज्ञान स्नातक; वाणिज्य स्नातक; व्यवसाय प्रशासन स्नातक, आदि) (कार्यक्रम की अवधिः तीन वर्ष या 6 सेमेस्टर)	120 क्रेडिट
4	लेवल 5.5	व्यवसाय स्नातक (बी.वोक) (कार्यक्रम की अवधिः 3 वर्ष या 6 सेमेस्टर)	120 क्रेडिट
5	लेवल 6	इंजीनियरिंग स्नातक (बी.ई.); प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक.) (कार्यक्रम की अवधिः चार वर्ष या 8 सेमेस्टर)	160 क्रेडिट
6	लेवल 6	बी.ए., बी.एड.; बी.एससी., बी.एड.; बी.कॉम., बी.एड. (4–वर्षीय दोहरी डिग्री इंटीग्रेटेड शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम)	160 क्रेडिट
7	लेवल 6	स्नातक डिग्री (ऑनर्स/अनुसंधान के साथ ऑनर्स) (कार्यक्रम की अवधिः चार वर्ष या 8 सेमेस्टर)	160 क्रेडिट
8	लेवल 6	स्नातकोत्तर डिप्लोमा। उन लोगों के लिए जो 2–वर्षीय मास्टर कार्यक्रम के पहले वर्ष या दो सेमेस्टर की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद बाहर निकलते हैं। (कार्यक्रम की अवधिः एक वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
9	लेवल 6.5	मास्टर की डिग्री (जैसेः एम.ए.; एम.कॉम., एम.एससी.; आदि) (कार्यक्रम की अवधि : तीन वर्ष की स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
10	लेवल 6.5	मास्टर की डिग्री (जैसेः एम.ए.; एम.कॉम., एम.एससी.; आदि) (कार्यक्रम की अवधि : चार वर्ष की स्नातक (ऑनर्स/अनुसंधान के साथ ऑनर्स) डिग्री प्राप्त करने के बाद एक वर्ष या 2 सेमेस्टर)	40 क्रेडिट
11	लेवल 7	मास्टर की डिग्री (जैसेः एम.ई.; एम.टेक. आदि) (कार्यक्रम की अवधि : बी.ई., बी.टेक. आदि स्नातक डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या चार सेमेस्टर)	80 क्रेडिट
12	लेवल 8	डॉक्टोरल डिग्री	कोर्स वर्क, शोध प्रबंध और प्रकाशित कार्य।

नोटः–

(i) शोध नहीं करने वाले ऑनर्स छात्रों को शोध परियोजना/शोध प्रबंध के स्थान पर 12 क्रेडिट के 3 पाठ्यक्रम करने होंगे।

(iii) यूजीसी/वैधानिक निकायों द्वारा जारी दिशा –निर्देशों के अनुसार, विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्रेडिट इस प्रकार आबंटित कर सकता है जिससे छात्रों को न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सुविधाजनक हो।

5. स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पाठ्यक्रम घटक –

पाठयक्रम में प्रमुख स्ट्रीम कोर्स, लघु स्ट्रीम और अन्य विषयों के कोर्स, भाषा कोर्स, कौशल कोर्स, और पर्यावरण शिक्षा, भारत को समझना, डिजिटल और तकनीकी समाधान, स्वास्थ एवं कल्याण, योग शिक्षा, और खेल एवं फिटनेस पर आधारित कोर्स पाठ्यक्रमों में संम्मिलित होगा। द्वितीय सेमेस्टर के अंत में, छात्र या तो चयन किये गये विषयो को जारी रखने का निर्णय ले सकता है या विषय बदलने का अनुरोध कर सकता है। लघु स्ट्रीम कोर्स में व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्मिलित होगें जो छात्रों को रोजगार उन्मुख कौशल के क्षेत्र में तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे।

6. विषयक/अंतःविषय मेजर –

मेजर विषयों के अन्तर्गत, छात्र को किसी विशेष विषय या विषयक का गहन अध्ययन करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। छात्र को पहले वर्ष के दौरान अंतःविषय पाठ्यक्रमों का अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त समय देकर, दूसरे सेमेस्टर के अंत में उस व्यापक विषयक में प्रमुख विषय बदलने की अनुमति दी जा सकती है। सातवें सेमेस्टर में उन्नत स्तरीय विषयक/अंतःविषय पाठ्यक्रम, शोध पद्धति पर एक पाठयक्रम और एक परियोजना/शोध प्रबंध आयोजित किया जायेगा। अंतिम सेमेस्टर में सेमिनार प्रस्तुति, परियोजना रिपोर्ट/शोध प्रबंध की तैयारी और प्रस्तुति हेतु समर्पित रहेगा। परियोजना कार्य/शोध प्रबंध अध्ययन के अनुशासनात्मक कार्यक्रम के किसी विषय या अंतःविषय विषय पर होगा।

7. विषयक/अंतःविषय माइनर –

छात्र के पास व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित विषयक/अंतःविषयक माइनर विषयों और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों में से चयन करने का विकल्प होगा। जो छात्र चयन किये गये मेजर विषय के अलावा किसी अन्य विषय या अंतःविषयक अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पाठ्यक्रम का चयन करता है, उसे उस विषय या चयन किये हुए अंतःविषयक अध्ययन क्षेत्र में माइनर विषय के लिए अर्हता प्राप्त होगी। छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करने के बाद, दूसरे सेमेस्टर के अंत में माइनर विषय और व्यावसायिक स्ट्रीम के विषयों का चयन कर सकता है।

8. व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण–

व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, सैद्धांतिक और व्यावहारिक कौशल के साथ–साथ स्नातक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित माइनर विषय के लिए न्यूनतम 12 केडिट आबंटित किये जायेंगे और ये छात्र की पसंद के मेजर या माइनर विषय से संबंधित हो सकते है। ये पाठ्यक्रम उन छात्रों के लिए नौकरी पाने में उपयोगी होंगे जो कार्यक्रम पूर्ण करने से पहले निकास करते है।

9. अन्य विषयक के पाठ्यक्रम (बहुविषयक) (9 क्रेडिट) –

सभी स्नातकपूर्व छात्रों को नीचे दिये गये किसी भी व्यापक विषय से संबंधित 3 प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम करने होंगे। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य बौद्धिक अनुभव को व्यापक बनाना जिसमें कि लिबरल आर्ट एवं विज्ञान शिक्षा का भाग सम्मिलित होगा। छात्रों को इस श्रेणी के अंतर्गत प्रस्तावित मेजर और माइनर विषयों में उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) पर पहले से लिये गये पाठ्यक्रमों को चुनने या दोहराने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क. प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान: छात्र प्राकृतिक विज्ञान जैसे विषयों में से बुनियादी कोर्स का चयन कर सकते है, उदाहरणतः जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, रसायन विज्ञान, भौतिक, जैवभौतिकी, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, पृथ्वी और पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान आदि।

ख. गणित, सांख्यिकी और कम्प्यूटर एप्लिकेशन– इस श्रेणी के अन्तर्गत कोर्स छात्रों को अपने मेजर और माइनर विषयों में उपकरणों और तकनीकों का उपयोग और अनुप्रयोग करने में सक्षम बनाएंगे। इस कोर्स में पायथन जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और स्टाटा एसपीएस आदि जैसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण सम्मिलित किये जा सकते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली बुनियादी कोर्स विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में डेटा विश्लेषण और मात्रात्मक उपकरणों के अनुप्रयोग का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होंगे।

ग. पुस्तकालय, सूचना एवं मीडिया विज्ञान– इस श्रेणी के अन्तर्गत कोर्स छात्रों को (सूचना एवं मीडिया विज्ञान, पत्रकारिता, जनसंचार एवं संचार) के क्षेत्र में आधुनिक विकास को समझने मे सहायता प्रदान करेगें।

घ. वाणिज्य एवं प्रबंधन– इस श्रेणी के कोर्स के अन्तर्गत व्यवसाय प्रबंधन, लेखा, वित्त, वित्तीय संस्थान, फिनटेक आदि सम्मिलित है।

ड. मानविकी और सामाजिक विज्ञान– सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत कोर्स, उदाहरणतः मानव विज्ञान, संचार और मीडिया, अर्थशास्त्र, इतिहास, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, आदि सम्मिलित है। ये कोर्स छात्रों को व्यक्तियों और उनके सामाजिक व्यवहार, समाज और राष्ट्र को समझने में सक्षम बनायेंगे। छात्रों को भारत के लिए उपलब्ध बड़े पैमाने के डेटाबेस से सर्वेक्षण पद्धति से भी परिचित कराया जायेगा। मानविकी के अंतर्गत कोर्स उदाहरणतः पुरातत्व, इतिहास, तुलनात्मक साहित्य, कला और रचनात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मक लेखन और साहित्य, भाषाएँ, दर्शनशास्त्र, आदि, और मानविकी से संबंधित अंतःविषय कोर्स सम्मिलित होंगे। कोर्स की सूची में संज्ञानात्मक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जेन्डर स्टडी, वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और विकास, सतत विकास, महिला एवं जेन्डर स्टडी आदि जैसे अंतःविषय समाज को समझने में सहायक होंगे।

10. योग्यता संवर्धन कोर्स (एईसी) (08 क्रेडिट) आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) एवं भाषा और संचार कौशल पर केंद्रित अंग्रेजी भाषा:

छात्रों को एक आधुनिक भारतीय भाषा (एमआईएल) और अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की दृष्टिकोण से भाषा और संचार कौशल पर विशेष बल दिया जायेगा। कोर्स का उद्देश्य छात्रों को आलोचनात्मक पठन, व्याख्यात्मक और अकादमिक लेखन कौशल सहित मूल भाषाई कौशल प्राप्त करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है, जिससे उन्हें अपने तर्को को स्पष्ट और सुसंगत रूप से प्रस्तुत करने और ज्ञान एवं पहचान के मध्यस्थ के रूप में भाषा के महत्व को पहचानने में मदद मिलेगी। यह छात्रों को चुनी हुई भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत से परिचित कराने के साथ–साथ भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों से संबंधित भाषा/साहित्य की संरचना और जटिलता की गहन समझ प्रदान करेगा। ये कोर्स संचार जैसे कौशल के विकास और संवर्धन, और चर्चा एवं वाद विवाद में भाग लेने/संचालन करने की क्षमता पर भी जोर देंगे।

11. कौशल संवर्धन कोर्स (एसईसी):

इन कोर्स का उद्देश्य छात्रों की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कौशल, व्यावहारिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल आदि प्रदान करना है। विश्वविद्यालय छात्रों की आवश्यकताओं और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कोर्स तैयार करेगा।

12. सामान्य मूल्यवर्धित कोर्स (वीएसी), सभी स्नातकपूर्व छात्रों के लिए (6–8 क्रेडिट):

i. **भारत को जानना:** इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को समकालीन भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों और नीतियों की मूल रूपरेखा, और संवैधानिक मूल्यों तथा मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर विशेष बल देते हुए संवैधानिक दायित्वों के ज्ञान और समझ को अर्जित करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनाना है। यह कोर्स छात्र–शिक्षकों के बीच भारतीय ज्ञान प्रणालियों, भारतीय शिक्षा प्रणाली और सामान्य रूप से राष्ट्र तथा विद्यालय/समुदाय/समाज के प्रति शिक्षकों की भूमिकाओं और दायित्वों की समझ विकसित करने पर केंद्रित होगा। यह कोर्स भारत के संविधान में निहित मूल्यों को समझने और संजोने में मदद करेगा और उन्हें एक लोकतांत्रिक समाज के प्रभावी नागरिक के रूप में अपनी भूमिकाओं और कर्तव्यों के लिए तैयार करने में सहायक होगा।

ii. **पर्यावरण विज्ञान/शिक्षा:** इस कोर्स का उद्देश्य छात्रों को अर्जित ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को लागू करने की क्षमता से लैस करना है ताकि वे पर्यावरणीय अवनति, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के प्रभावों को कम करने, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक विविधता के संरक्षण, जैविक संसाधनों के प्रबंधन, वन और वन्यजीव संरक्षण, सतत विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठा सकें। यह कोर्स भारत के पर्यावरण, उसकी समग्रता, अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं और लोगों के जीवन की भविष्य की गुणवत्ता पर उसके प्रभावों के बारे में ज्ञान और समझ को भी गहन करेगा।

iii. **डिजिटल और तकनीकी समाधान:** इस कोर्स के अन्तर्गत अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं विषय जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), 3D मशीनिंग, बिग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजीज और डीप लर्निंग, स्वास्थ्य, पर्यावरण और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ, जिन्हें युवाओं की नियोजनीता बढ़ाने के लिए स्नातकपूर्व शिक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

iv. **स्वास्थ्य एवं कल्याण, योग शिक्षा, खेल और फिटनेस:** यह कोर्स स्वास्थ्य से संबंधित घटक—व्यक्ति के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय कल्याण की इष्टतम स्थिति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। खेल और फिटनेस गतिविधियाँ नियमित विश्वविद्यालय समय–सारणी के बाहर आयोजित की जाएँगी। योग शिक्षा छात्रों को उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के एकीकरण के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने और उन्हें अपने व्यक्तित्व के बारे में बुनियादी ज्ञान से लैस करने, आत्म–अनुशासन और आत्मनियंत्रण बनाए रखने, जीवन की सभी परिस्थितियों मे खुद को संभालना सीखने पर केंद्रित होगी। कोर्स का उद्देश्य खेल और फिटनेस घटकों का ध्यान शारीरिक फिटनेस जैसे शक्ति, गति, समन्वय, सहनशक्ति और लचीलेपन में सुधार; मोटर कौशल सहित खेल कौशल के अधिग्रहण के साथ साथ किसी विशेष खेल से संबंधित बुनियादी गति कौशल; सामरिक क्षमताओं में सुधार; और मानसिक क्षमताओं में सुधार पर होगा।

विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार विषय से संबंधित या सभी स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिये समान अन्य नवीन मूल्यवर्धित कार्यक्रम शुरू करेगा।

13. भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस):

आईकेएस से संबंधित कोर्स को सिलेबस में सम्मिलित किया जावेगा।

अ. आईकेएस से संबंधित विषय सभी स्नातकपूर्व कोर्स का अभिन्न अंग होंगे।

ब. आईकेएस में लिये जाने वाले केडिट, चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम में कुल अनिवार्य क्रेडिट के 5 प्रतिशत होंगे। आईकेएस को आवंटित केड़िट का 50 प्रतिशत मुख्य विषयगत और बहुविषयक कोर्स को आवंटित किया जायेगा। एक छात्र आईकेएस के किसी भी विषय/विषय में इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता का विकल्प चुन सकता है।

स. इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के पहले चार सेमेस्टर के दौरान आईकेएस पर आधारित फाउंडेशन कोर्स में एक/दो पेपर का आयोजन सुनिश्चित करेगा, जिसमें मूल्यवर्धित पाठ्यक्रम (वीएसी) के एक भाग के रूप मे क्रमशः तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए न्यूनतम तीन/चार क्रेडिट के होंगे।

द. आईकेएस के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को चयनित विषयों/बहुविषयों में फाउंडेशनल कोर्स, आईकेएस के लिए विशिष्ट/और वैकल्पिक कोर्स, (विषय विशिष्ट) में वर्गीकृत किया जाएगा।

i. **आधारभूत कोर्सः** इसमें आईकेएस का आधारभूत ज्ञान सम्मिलित होगा और जिसमें भारतीय साहित्य, संस्कृति, खगोल विज्ञान, कला और शिल्प, वास्तुकला, संगीत आदि का बुनियादी ज्ञान सम्मिलित होगा।

ii. **ऐच्छिक कोर्स (विषय–विशिष्ट):** इस पाठ्यक्रम में भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञान जैसे विशिष्ट विषयों से संबंधित उन्नत ज्ञान सम्मिलित होगा। यह प्रमुख विषय का हिस्सा होगा।

14. ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप (4 क्रेडिट):

नवीन स्नातकपूर्व कार्यक्रम का एक प्रमुख पहलू छात्रों को वास्तविक कार्य स्थितियों से परिचित कराना है। सभी छात्रों को ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान किसी फर्म, उद्योग या संगठन में इंटर्नशिप/अप्रेंटिसशिप या विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों/शोध संस्थानों में संकाय और शोधकर्ताओं के साथ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। छात्रों को स्थानीय उद्योग, व्यावसायिक संगठनों, स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों, स्थानीय निकायों (जैसे पंचायत और नगर पालिका), संसद या निर्वाचित प्रतिनिधियों, मीडिया संगठनों, कलाकारों, शिल्पकारों और विभिन्न प्रकार के संगठनों के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएँगे ताकि छात्र अपनी रोजगार क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए अपने सीखने के व्यावहारिक पक्ष में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें। जो छात्र पहले दो सेमेस्टर के बाद निकास चाहता है, उसे स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए गर्मियों के दौरान 4–क्रेडिट की कार्य–आधारित शिक्षा/इंटर्नशिप करनी होगी।

15. सामुदायिक वचनबद्धता और सेवा:

सामुदायिक वचनबद्धता और सेवा का पाठ्यक्रम घटक छात्रों को समाज के सामाजिक–आर्थिक मुद्दों से परिचित कराने का प्रयास करेगा ताकि सैद्धांतिक शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों से पूरक बनाया जा सके और वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान खोजे जा सकें। यह ग्रीष्मकालीन सत्र की गतिविधि का हिस्सा हो सकता है या विश्वविद्यालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रमुख विषय के आधार पर किसी मेजर या माइनर पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

16. क्षेत्र–आधारित शिक्षण/माइनर प्रोजेक्ट:

क्षेत्र–आधारित शिक्षण/माइनर प्रोजेक्ट छात्रों को विभिन्न सामाजिक–आर्थिक संदर्भों को समझने के अवसर प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों को ग्रामीण और शहरी दोनों परिवेशों में विकास संबंधी मुद्दों से परिचित कराना है। यह छात्रों को ग्रामीण और शहरी संदर्भों में स्थितियों का अवलोकन करने

और सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में वास्तविक क्षेत्रीय स्थितियों का अवलोकन और अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान करेगा। छात्रों को विकास प्रक्रिया को दिशा देने वाली नीतियों, नियमों और विनियमों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समझ और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएँगे। उन्हें समुदाय की जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्याओं और पहचानी गई समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक नवाचारों को समझने का अवसर मिलेगा। यह ग्रीष्मकालीन सत्र परियोजना का हिस्सा हो सकता है या विश्वविद्यालय द्वारा तय किए जाने वाले प्रमुख विषय के आधार पर किसी मेजर या माइनर पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है।

17. शोध परियोजना / शोध प्रबंध (12 क्रेडिट) :

चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री (शोध के साथ ऑनर्स) का चयन करने वाले छात्रों को किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में शोध परियोजनाएं शुरू करनी होंगी। छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे आठवें सेमेस्टर में शोध परियोजना पूर्ण कर लें। उनके परियोजना कार्य के शोध परिणाम समकक्ष–समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों / सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उद्योग में शिक्षार्थी / छात्र द्वारा अर्जित प्रासंगिक अनुभव और व्यावसायिक स्तर और प्राप्त दक्षता स्तर (शैक्षणिक ग्रेड / कौशल–आधारित कार्यक्रम पूरा करने के बाद) सहित प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा के आधार पर उम्मीदवार द्वारा अर्जित क्रेडिट की गणना का सिद्धांत नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

प्रासंगिक अनुभव / दक्षता के लिए क्रेडिट असाइनमेंट

अनुभव सह प्रवीणता का स्तर	प्रासंगिक अनुभवात्मक शिक्षा का विवरण जिसमें प्रासंगिक अनुभव और अर्जित व्यावसायिक स्तर और प्रवीणता स्तर प्राप्त करना शामिल है	वेटेज / गुणन कारक	अनुभव के वर्षों की संख्या (केवल सांकेतिक)
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रशिक्षित / योग्यता प्राप्त	कोई छात्र जिसने कोर्स वर्क / शिक्षा / प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है और उसे किसी विशेष कार्य या गतिविधि के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सिखाया गया है।	1	1 वर्ष से कम या उसके बराबर
निपुण	निपुण का अर्थ किसी विशेष पेशे, कौशल या ज्ञान में उन्नति का स्तर होना।	1.33	1 से अधिक किन्तु 4 से कम या उसके बराबर
विशेषज्ञ	विशेषज्ञ का अर्थ है किसी व्यापार या पेशे में उच्च स्तर का ज्ञान और अनुभव का होना।	1.67	4 से अधिक किन्तु 7 से कम या उसके बराबर
मास्टर	मास्टर वह व्यक्ति है जिसके पास किसी विषय / डोमेन का असाधारण कौशल या ज्ञान होता है।	2	7 से अधिक

18. अन्य गतिविधियाँ:

इस घटक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), युवा रेड क्रॉस, वयस्क शिक्षा / साक्षरता पहल, स्कूली छात्रों को मार्गदर्शन और अन्य समान गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी शामिल होगी।

19. व्यापक मुक्त ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)

एमओओसी, शिक्षार्थियों को वैकल्पिक माध्यमों (ऑफलाइन, ओडीएल, ऑनलाइन शिक्षण और हाइब्रिड मोड) में बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय, यूजीसी से प्राप्त दिशानिर्देशों/सिफारिशों के अनुसार, स्वयं/एनपीटीईएल या यूजीसी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किसी कार्यक्रम के एक सेमेस्टर में प्रस्तावित कुल कोर्स/क्रेडिट इकाइयों के 40 प्रतिशत तक की अनुमति देगा।

विश्वविद्यालय एमओओसी–आधारित पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश विकसित करेगा। ये दिशानिर्देश कोर्स का चयन, क्रेडिट स्थानांतरण और अन्य प्रासंगिक पहलुओं की प्रक्रिया को रेखांकित करेंगे ताकि पाठ्यक्रम में एमओओसी का सुचारू एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

20. स्नातकपूर्व कार्यक्रम के लिए संरचनाएँः सेमेस्टर प्रणालीः

3–वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम/4–वर्षीय स्नातकपूर्व ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च के लिए डिजाइन किए गए पाठ्यक्रम में, छात्रों को तालिका 1 के अनुसार आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट इकाइयों को पूर्ण करने के पश्चात् प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री अर्जित करने के साथ कार्यक्रम में एकाधिक बार निकास और प्रवेश के अवसर मिलते हैं।

*40 क्रेडिट (स्तर 4.5 जिन्हें स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा) या 80 क्रेडिट (स्तर 5, जिन्हें स्नातकपूर्व डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा) प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्रों को ग्रीष्मकालीन सत्र या औद्योगिक इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता के दौरान पेश किए जाने वाले कार्य/डोमेन आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 4 अतिरिक्त क्रेडिट भी प्राप्त करने होंगे।

4–वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री कार्यक्रम को एक पसंदीदा विकल्प माना जाता है क्योंकि यह छात्र की पसंद के अनुसार चयन किये गये मेजर और माइनर विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की पूरी श्रृंखला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा (तालिका–IIA और तालिका–IIB)

तालिका IIA: प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता

स.क.	कोर्स की श्रेणी	न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकता	
		3 वर्षीय स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम	4 वर्षीय स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मेजर (कोर) कोर्स	60 (50%)	80 (50%)
2	माइनर (वैकल्पिक) कोर्स	24	32
3	बहुविषयक/अंतर–विषयक/संबद्ध कोर्स	09	09
4	एईसी (क्षमता संवर्धन कोर्स)	08	08
5	एसईसी (कौशल संवर्धन कोर्स)	09	09
6	भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) सहित वीएडी (मूल्य वर्धित कोर्स)	07	07
7	समर इंटर्नशिप	03	03
8	शोध प्रबंध/(शोध परियोजना)		12*
	कुल क्रेडिट	120	160

नोटः– ऑनर्स छात्र जो शोध परियोजना नहीं कर रहे हैं, उन्हें शोध परियोजना/शोध प्रबंध के स्थान पर 12 क्रेडिट के तीन कोर्स करने होंगे।

तालिका IIB: –स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम के क्रेडिट का सेमेस्टर–वार और व्यापक पाठ्यक्रम श्रेणी–वार वितरणः

सेमेस्टर	डिसिप्लीन विशिष्ट पाठ्यक्रम (कोर)	माइनर	अंतर – विषयक कोर्स	क्षमता संवर्धन कोर्स (भाषा)	कौशल संवर्धन कोर्स / इंटर्नशिप / शोध प्रबंध	सामान्य मूल्य संवर्धित कोर्स	कुल क्रेडिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 कोर्स)	(1 कोर्स)	(1 कोर्स)	(1 या 2 कोर्स)	20
II	(100 स्तर)	(100 स्तर)	(1 कोर्स)	(1 कोर्स)	(1 कोर्स)	(1 या 2 कोर्स)	20
	40 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र को संबंधित डिसिप्लीन/विषय में स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि उसने स्तर 4.5 पूर्ण करने के लिए अर्जित 40 क्रेडिट के अतिरिक्त न्यूनतम 4 क्रेडिट का कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम पूरा किया हो।						40
III	(200 स्तर)	(200 और अधिक)	(1 कोर्स)	(1 कोर्स)	(1 कोर्स)	-	20
IV	(200 स्तर)	(200 और	-	(1 कोर्स)	-		20
	80 क्रेडिट प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र को संबंधित डिसिप्लीन/विषय में स्नातकपूर्व डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि वह प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष की ग्रीष्मकालीन अवधि के दौरान पेश किए गए कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 4 क्रेडिट प्राप्त करे।						80
V	(300 स्तर)	(200 और अधिक)	-	-	(इंटर्नशिप)	-	20
VI	(300 स्तर)	(200 और अधिक)	-	-	-	-	20
	जो छात्र 3–वर्षीय यूजी कार्यक्रम करना चाहते हैं, उन्हें 120 क्रेडिट प्राप्त करने पर संबंधित डिसिप्लीन/विषय में स्नातकपूर्व डिग्री प्रदान की जाएगी।						120
VII	(400 स्तर)	(300 और अधिक)	-	-	-	-	20
VIII	(400 स्तर)	(300 और अधिक)	-	-	(अनुसंधान परियोजना/ शोधप्रबंध)	-	20
	किसी छात्र को संबंधित डिसिप्लीन/विषय में शोध के साथ स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स) प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि वह 160 क्रेडिट प्राप्त कर लिए हो।						160

नोटः

क) प्रत्येक सेमेस्टर में कॉलम (8) में उल्लिखित क्रेडिट की कुल संख्या न्यूनतम है। विश्वविद्यालय न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक कोर्स (जैसे, मेजर, माइनर बहु–विषयक, आदि) के लिए क्रेडिट की संख्या निर्धारित कर सकता है। विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 10: क्रेडिट प्रदान कर सकता है।

ख) छात्रों को, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित, अपनी पसंद के कोर्स का ऑडिट करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते वे कोर्स की पूर्व–आवश्यकताएँ पूरी करते हों।

ग) किसी छात्र को किसी विषय में स्नातकपूर्व की डिग्री प्राप्त करने के लिए उस विषय में कुल क्रेडिट का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करना होगा।

घ) माइनर स्ट्रीम कोर्स का स्तर 300 या उससे अधिक हो सकता है। माइनर विषयों के कुल क्रेडिट का 50 प्रतिशत संबंधित विषय/डिसिप्लीन में प्राप्त किया जाना चाहिए और माइनर विषयों के कुल क्रेडिट का अन्य 50 प्रतिशत छात्र की पसंद के अनुसार किसी भी डिसिप्लीन (बहुविषयक) से अर्जित किया जा सकता है।

ड) छात्रों को अंतःविषय श्रेणी के अंतर्गत स्तर 4/कक्षा XII में अध्ययन किए गए समान कोर्स लेने की अनुमति नहीं है।

च) किसी भी श्रेणी में 40 प्रतिशत क्रेडिट मौजूदा यूजीसी विनियमन के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से अर्जित किए जा सकते हैं।

छ) आठवें सेमेस्टर का मुख्य विषय सेमिनार–आधारित होगा जिसमें छात्रों की प्रस्तुतियाँ और चर्चाएँ सम्मिलित होंगी।

ज) छात्रों को एनएसएस/एनसीसी/यूथ रेड क्रॉस आदि जैसी गतिविधियों में नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

21. स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों की संरचना:

2–वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिए: 3–वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के बाद 2–वर्षीय पीजी कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र (i) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल पाठ्यक्रम कार्य या (ii) तीसरे सेमेस्टर में कोर्स वर्क और चौथे सेमेस्टर में शोध या (iii) तीसरे और चौथे सेमेस्टर में केवल शोध करने का विकल्प चुन सकते हैं।

1–वर्षीय पीजी कार्यक्रम के लिए: 4–वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम के बाद 1–वर्षीय पीजी में प्रवेश लेने वाले छात्र (i) केवल पाठ्यक्रम या (ii) शोध या (iii) पाठ्यक्रम और शोध में से कोई एक चुन सकते हैं।

5–वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजी+पीजी) के लिए: पीजी स्तर पर, 5–वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम का पाठ्यक्रम घटक ऊपर उल्लिखित 2–वर्षीय पीजी कार्यक्रम के समान होगा।

क्रेडिट वितरण:

अ) 1 वर्षीय पीजी के लिए

पाठ्यचर्या का घटक	4 वर्षीय स्नातकपूर्व (ऑनर्स/ऑनर्स विद रिसर्च) के लिए पीजी पाठ्यक्रम (एक वर्ष) न्यूनतम क्रेडिट			
	कोर्स लेवल	कोर्स वर्क	रिसर्च थीसिस/प्रोजेक्ट/पेटेंट	कुल क्रेडिट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोर्स वर्क + रिसर्च	500	20	20	40
कोर्स वर्क	500	40	--	40
रिसर्च	-	-	40	

ब.) 2–वर्षीय पीजी के लिए

पाठ्यचर्या का घटक		दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम (सामान्य और व्यावसायिक) न्यूनतम क्रेडिट			
		कोर्स लेवल	कोर्स वर्क	रिसर्च थीसिस/प्रोजेक्ट/पेटेंट	कुल क्रेडिट
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
पीजी डिप्लोमा		400	40	--	40
प्रथम वर्ष (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर)		400 500	24 16	--	40
प्रथम वर्ष के अंत में निकास करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा					
द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर)	कोर्सवर्क और अनुसंधान	500	20	20	40
	कोर्स वर्क (या)	500	40	--	40
	शोध	--	--	40	40

निकास बिंदु:

दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु होगा। प्रथम वर्ष के अंत में निकास करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में चुने गए विषय से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल होंगे।

22. कोर्स के स्तर:

कोर्स को सीखने के परिणामों, कठिनाई के स्तर और शैक्षणिक कठोरता के आधार पर संकेतिकरण किया जाएगा। संकेतिकरण का संरचना इस प्रकार है:

i. **0–99:** एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवश्यक पूर्व–आवश्यक पाठ्यक्रम, जो बिना किसी क्रेडिट के उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण पाठ्यक्रम होगा। यह कुछ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में संचालित ब्रिज कोर्स की मौजूदा अनौपचारिक पद्धति का स्थान लेगा।

ii. **100–199:** आधारभूत या परिचयात्मक कोर्स जिनका उद्देश्य छात्रों को विषयों के बारे में समझ और बुनियादी ज्ञान प्राप्त कराना और रुचि के विषय या डिसिप्लीन को तय करने में सहयोग करना है। ये कोर्स प्रमुख विषय के कोर्स के लिए पूर्वापेक्षाएँ भी हो सकते हैं। ये कोर्स आधारभूत सिद्धांतों, अवधारणाओं, परिप्रेक्ष्य सिद्धांतों, विधियों और आलोचनात्मक सोच की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे ताकि अधिक उन्नत कोर्स को लेने के लिए व्यापक समझ प्रदान की जा सके। ये कोर्स छात्रों को उन्नत अध्ययन के लिए आवश्यक सामान्य शिक्षा से लैस करने, छात्रों को अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों की व्यापकता से परिचित कराने उच्च विशिष्ट उच्च स्तरीय कोर्स के लिए आधार प्रदान करने छात्रों को कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में (अंतः) विषयक क्षेत्रों की व्यापकता से परिचित कराने, और व्यावसायिक या पेशेवर क्षेत्रों की ऐतिहासिक और समकालीन मान्यताओं और व्यवहार से परिचित कराने और उच्च स्तरीय कोर्स के लिए आधार तैयार करने का प्रयास करते हैं।

iii. **200–299: उच्च–स्तरीय कोर्स** जिनमें विषय–विशिष्ट कोर्स सम्मिलित हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षण के गौण या प्रमुख क्षेत्रों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये कोर्स किसी प्रमुख विषय का हिस्सा हो सकते हैं और उन्नत–स्तरीय प्रमुख कोर्स के लिए पूर्व–आवश्यक कोर्स हो सकते हैं।

iv. **300–399: उच्च–स्तरीय पाठ्यक्रम** जो डिग्री प्रदान करने के लिए अध्ययन के किसी डिसिप्लीन/अंतर्विषयक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं।

v. **400–499: उन्नत कोर्स** जिनमें स्नातक स्तर पर प्रैक्टिकम के साथ व्याख्यान कोर्स, सेमिनार–आधारित कोर्स, टर्म पेपर, शोध परियोजनाएँ, व्यावहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता परियोजनाएँ या स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक और व्यावहारिक कोर्स सम्मिलित होंगे।

vi. **500–599: 2–वर्षीय स्नातकोत्तर** कार्यक्रम के लिए प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कोर्स।

vii. **600–699: 2–वर्षीय स्नातकोत्तर** या 1–वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए कोर्स।

viii. **700–799 और उससे अधिक:** कोर्स डॉक्टरेट छात्रों तक सीमित।

3. स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रवेश पथ:

क) छात्रों को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें 3 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों के लिए दूसरा वर्ष पूरी तरह से शोध के लिए समर्पित होगा।

ख) ऑनर्स/रिसर्च के साथ 4 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

ग) कोई भी छात्र अपने यूजी कार्यक्रम में लिए गए मेजर या माइनर विषय में पीजी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र है।

घ) यूजी कार्यक्रम में छात्र द्वारा लिए गए मेजर या माइनर विषय के बावजूद, कोई भी छात्र पीजी कार्यक्रम के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए पात्र है, यदि छात्र पीजी कार्यक्रम के विषय में राष्ट्रीय स्तर या विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

ङ.) जिन अभ्यर्थियों ने 4 वर्षीय स्नातकपूर्व कार्यक्रम या 3 वर्षीय स्नातकपूर्व और 2 वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम या एसटीईएम (STEM) विषयों में 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (यूजी + पीजी) पूर्ण कर लिया है, वे संबद्ध क्षेत्रों में एम.ई., एम.टेक. में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

च) विश्वविद्यालय निर्दिष्ट विषयों/कार्यक्रम में एक एकीकृत पांच वर्षीय स्नातक कार्यक्रम भी संचालित करेगा।

प्रवेश 5: स्तर 6.5 के लिए प्रवेश आवश्यकता है–

क) एक वर्षीय/दो सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स/शोध)।

ख) दो वर्षीय/चार सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए स्नातकपूर्व डिग्री।

ग) एक वर्षीय/दो सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए स्नातकपूर्व डिग्री।

घ) स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु अध्ययन कार्यक्रम उन लोगों के लिए खुला है जिन्होंने कार्यक्रम प्रवेश नियमों में निर्दिष्ट योग्यता स्तरों सहित प्रवेश आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश, आवेदक की किसी विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर अध्ययन करने की क्षमता के दस्तावेजी साक्ष्य (शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित) के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

निकास 6: स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए–दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लेने वालों के लिए केवल एक निकास बिंदु उपलब्ध होगा, जो कि स्नातकोत्तर कार्यक्रम के पहले वर्ष के अंत में होगा। पहले वर्ष के बाद निकास करने वाले छात्रों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा।

24. स्नातकोत्तर कार्यक्रम की क्रेडिट आवश्यकताएँ:

क) ऑनर्स के साथ स्नातकपूर्व डिग्री/शोध के साथ ऑनर्स के बाद एक वर्षीय/दो सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में उन व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिन्होंने ऑनर्स के साथ स्नातकपूर्व डिग्री/शोध के साथ ऑनर्स पूरी कर ली है।

ख) स्नातकपूर्व डिग्री के बाद दो वर्षीय/चार सेमेस्टर के स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में कार्यक्रम के दोनों वर्षों में कुल 80 क्रेडिट की आवश्यकता होगी, जिसमें स्तर 7 पर पहले वर्ष में 40 क्रेडिट और कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में 40 क्रेडिट होंगे।

ग) स्नातकपूर्व की डिग्री के बाद एक वर्षीय/दो सेमेस्टर का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसमें स्नातक की डिग्री पूरी कर चुके व्यक्तियों के लिए 40 क्रेडिट की आवश्यकता होगी।

*एक छात्र को केवल विषम सेमेस्टर में ही प्रवेश/पुनः प्रवेश की अनुमति होगी और वह केवल सम सेमेस्टर के बाद ही निकास कर सकता है। शैक्षणिक कार्यक्रम में पार्श्व प्रवेशकों के रूप में विभिन्न स्तरों पर पुनः प्रवेश अर्जित क्रेडिट और दक्षता परीक्षा रिकॉर्ड के आधार पर होगा।

*अर्जित क्रेडिट की वैधता अधिकतम 7 वर्ष की अवधि तक या एबीसी द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक होगी। अर्जित क्रेडिट जमा करने, उसकी शेल्फ लाइफ, क्रेडिट के मोचन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का (उच्चतर शिक्षा में एकेडमिक क्रेडिट्स बैंक की स्थापना और संचालन) विनियम, 2021 के अनुसार होगी।

25. तकनीकी कार्यक्रमों की अवधि, प्रवेश स्तर की योग्यताएँ और वैधानिक आरक्षण के मानदंड:

प्रत्येक निकास के बाद छात्रों को रोजगार योग्य बनाने के लिए, संबंधित नियामक निकाय/विश्वविद्यालय/तकनीकी बोर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा कार्यक्रम के प्रथम वर्ष से ही संबंधित विषयों में कौशल में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ कौशल घटक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जावेगा। प्रथम वर्ष के अंत में निकास की अनुमति देते समय, संस्थान तकनीकी संचार और कम्प्यूटर दक्षता (डेटा एंट्री आदि), सिविल/मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैनशिप, इलेक्ट्रिकल रखरखाव आदि पर अनिवार्य कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल निर्धारित कर करेगा।

स.क्र.	अकादमिक स्तर	प्रवेश स्तर पात्रताएँ	निकासी स्तर पात्रताएँ	एनसीआरएफ स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	10वीं कक्षा		10वीं कक्षा	3.0
2	डिप्लोमा प्रथम वर्ष	10वीं कक्षा पास	अभ्यर्थी 10+1 वर्ष के प्रमाण–पत्र के साथ निकास करता है: वोकेशन का प्रमाण पत्र (सी. वोक.)	3.5
3 अ	12वीं कक्षा	11वीं कक्षा उत्तीर्ण	12वीं कक्षा	4.0
3 ब	डिप्लोमा द्वितीय वर्ष	अभ्यर्थी 10+1 वर्ष का डिप्लोमा (C. Voc.) या समकक्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण (स्तर 3.5) या 12वीं कक्षा पास	अभ्यथी 10+2 वर्ष के साथ व्यावसाय डिप्लोमा के साथ निकास करता है। (डी. वोक)	4.0
4 अ	डिप्लोमा तृतीय वर्ष	अभ्यर्थी 10+2 वर्ष का डिप्लोमा (D. Voc.) या समकक्ष व्यवसायिक प्रशिक्षण (स्तर 4) या 12वीं कक्षा पास (स्तर 4)	इंजीनियरिंग में डिप्लोमा	4.5
4 ब	स्नातकपूर्व डिग्री का प्रथम वर्ष	अभियांत्रिकी / स्नातकपूर्व प्रमाण–पत्र / समकक्ष व्यावसायिक या प्रशिक्षण की उपयुक्त शाखा में डिप्लोमा के साथ अभ्यर्थी। (स्तर 4)	स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र	4.5
5	स्नातकपूर्व डिग्री का द्वितीय वर्ष	अभियात्रिकी की उपयुक्त शाखा में डिप्लोमा/स्नातकपूर्व प्रमाण–पत्र / समकक्ष व्यवसायिक या तकनीकी कार्यक्रम के अभ्यर्थी (स्तर 4.5)	इंजीनियरिंग में स्नातकपूर्व डिप्लोमा	5.0
6	स्नातकपूर्व डिग्री का तृतीय वर्ष	10+3+1/12+2/ उपयुक्त डोमेन के इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के अभ्यर्थी (स्तर 5)	बी.वोक. / बी.एससी	(इंजीनियरिंग)/ स्नातकपूर्व डिग्री
7	स्नातकपूर्व डिग्री का अंतिम वर्ष	वोकेशन में 3 वर्ष की बैचलर डिग्री/ बी.एससी (इंजीनियरिंग)/ स्नातकपूर्व डिग्री के अभ्यर्थी (स्तर 5.5)	बी.ई / बी.टेक. / स्नातकपूर्व	स्नातकपूर्व डिग्री (ऑनर्स)
8	स्नातकोत्तर डिग्री का प्रथम वर्ष	4 वर्ष की बैचलर डिग्री के अभ्यर्थी (स्तर 6.0)	स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एम.वोक.	6.5
9	स्नातकोत्तर डिग्री का अंतिम वर्ष	उपयुक्त क्षेत्र में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा / एम.वोक. के अभ्यर्थी (स्तर 6.5)	एम.टेक. / स्नातकोत्तर डिग्री (इंजीनियरिंग)/स्नातकोत्तर डिग्री	7.0
10	पीएच.डी/फेलो प्रोग्राम	बी.टेक. में 75% अंक या समकक्ष सीजीपीए / स्नातकोत्तर के अभ्यर्थी	डॉक्टरेट	8.0

26. इंजीनियरिंग में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्कः

इंजीनियरिंग में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) के अन्तर्गत बी.टेक. पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष के बाद निकास करने वाले छात्रों को आईटी/हार्डवेयर नेटवर्किंग/मेटलैब या शाखा–विशिष्ट कौशल मॉड्यूल पर दक्षता प्राप्त करना होगा। बी.टेक. के तीसरे और चौथे वर्ष की पाठ्यक्रम संरचना पहले से ही इंजीनियरिंग–विशिष्ट है, तीन साल के पश्चात निकास करने वाले छात्रों को यूजी डिग्री/बी.वोक./बी.एससी. (इंजी.) प्रदान की जावेगी।

डिप्लोमा छात्रों को, जो पहले वर्ष के बाद निकास करते हैं, व्यवसाय प्रमाणपत्र (सी.वोक.) और द्वितीय वर्ष के बाद निकास करने वाले छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (आईटीसी)/व्यवसाय डिप्लोमा प्रदान की जावेगी।

प्रत्येक प्रवेश स्तर पर, विश्वविद्यालय शैक्षिक अंतराल/कौशल अंतराल की पहचान कर उपयुक्त ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जावेगी।

संबंधित नियामक निकायों के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अनुसार विशेषज्ञता का निर्धारण होगा।

27. उपस्थितिः

उपस्थिति की आवश्यकता परीक्षाओं को नियंत्रित करने वाले विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी। सामान्यतः, अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक होगी।

लंबी बीमारी जैसे विशेष कारणों से, प्रत्येक पाठ्यक्रम में उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को कुलपति द्वारा माफ किया जा सकता है।

28. परीक्षा एवं मूल्यांकनः

मूल्यांकन सतत आकलन पर आधारित होगा, जो कि अंतिम ग्रेड सत्रीय कार्य और अंतिम परीक्षा के प्रदर्शन पर आधारित होगा। सत्रीय कार्य में कक्षा परीक्षाएँ, मध्य–सेमेस्टर परीक्षाएँ, गृहकार्य आदि सम्मिलित होंगे, जैसा कि अध्ययन पाठ्यक्रम के संकाय प्रभारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सीखने के परिणामों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति का मूल्यांकन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाएगाः समयबद्ध परीक्षाएँ; बंद–पुस्तक और खुली–पुस्तक परीक्षाएँ; समस्या–आधारित सौंपा गया कार्य; व्यावहारिक असाइनमेंट; प्रयोगशाला रिपोर्ट; व्यावहारिक कौशल का अवलोकन; व्यक्तिगत परियोजना रिपोर्ट (केस–स्टडी रिपोर्ट); टीम प्रोजेक्ट रिपोर्ट; मौखिक प्रस्तुति सह सेमिनार प्रस्तुति सहित; मौखिक साक्षात्कार; कम्प्यूटरीकृत अनुकूली मूल्यांकन, माँग पर परीक्षा, मॉड्यूलर प्रमाणन, आदि।

प्रत्येक कोर्स एक परीक्षा पेपर के अनुरूप होगा जिसमें बाह्य और आंतरिक मूल्यांकन सम्मिलित होंगे। मेजर, माइनर, ओपन/जेनेरिक और डीएससी (विषय विशेष कोर्स) वोकेशनल, वैल्यू एडेड, एसईसी (कौशल संवर्धन कोर्स) और एबीसी (क्षमता संवर्धन कोर्स) के लिए सेमेस्टर अंत की सैद्धांतिक परीक्षा विश्वविद्यालय की अकादमिक कॉउंसिल द्वारा अनुमोदित परीक्षा नियमों के माध्यम से प्रख्यापित अवधि अनुसार होगी। सैद्धांतिक/प्रयोगात्मक/ट्यूटोरियल, आंतरिक, बाह्य परीक्षाओं के लिए क्रेडिट संरचना और किसी परीक्षा के कुल अंक, यूजीसी मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय की अकादमिक कॉउंसिल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम संरचना के अनुसार होंगे। छात्रों को अकादमिक कॉउंसिल द्वारा निर्धारित अनुसार, संबंधित कोर्स में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के लिए आंतरिक और बाह्य परीक्षाओं में अलग–अलग न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने होंगे।

क) मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक सेमेस्टर के लिए निर्धारित अध्ययन कोर्स के संबंध में अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों का मूल्यांकन अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं – कुल अंकों का 70 प्रतिशत और सतत आंतरिक मूल्यांकन – कुल अंकों का 30 प्रतिशत पर आधारित होगा।

ख) अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाएँगी और अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की अवधि तीन या दो घंटे की होगी।

ग) प्रत्येक सेमेस्टर में कार्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं और सतत मूल्यांकन सहित प्रत्येक पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत होगा।

घ) प्रत्येक सेमेस्टर में एक कार्यक्रम में क्रेडिट की एक निर्दिष्ट संख्या होगी। छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से उत्तीर्ण किए गए ग्रेड अंकों के साथ क्रेडिट की संख्या छात्र के प्रदर्शन का आधार होगा।

ङ) सेमेस्टर परीक्षा परिणाम में निम्नलिखित श्रेणियां होंगीः

i- **उत्तीर्ण** अर्थात् वे छात्र जिन्होंने सेमेस्टर परीक्षा के सभी कोर्स में आंतरिक और बाह्य परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्णता प्राप्त की हो।

ii- **प्रोन्नत (एटीकेटी)**, अर्थात् वे छात्र जिन्होंने किसी विशेष वर्ष में दोनों सेमेस्टर (सम और विषम) सहित न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित किए हों या वे छात्र जिन्होंने विषम सेमेस्टर में किसी भी संख्या में क्रेडिट अर्जित किए हों।

iii- **निरुद्ध** अर्थात् वे छात्र जिन्हें उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें निरुद्ध किया जाएगा। ऐसे छात्रों को इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक क्रेडिट (पहले से अर्जित क्रेडिट को छोड़कर) अर्जित करने के लिए अगले शैक्षणिक सत्र की परीक्षा में उपस्थित होना होगा और उसके बाद ही वे इस अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्यक्रम जारी रख सकते हैं।

च) हालाँकि, किसी भी सेमेस्टर का कोई छात्र जो कम उपस्थिति के कारण परीक्षा में नहीं बैठा है/निलंबित हुआ है/परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है/आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ है, उसे कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई/अधिसूचित प्रक्रिया के माध्यम से अगले सत्र में पूर्व–छात्र के रूप में प्रवेश लेना होगा।

29. सतत आंतरिक मूल्यांकनः

क) सतत आंतरिक मूल्यांकन कोर्स के लिए आवंटित कुल अंकों के 30 प्रतिशत अंक होगा।

ख) प्रत्येक कोर्स के लिए सतत आंतरिक मूल्यांकन के घटकों का निर्णय संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

ग) प्रोन्नत (एटीकेटी) छात्रों के मामले में सतत आंतरिक मूल्यांकन को आगे बढ़ाया जाएगा, किसी भी परिस्थिति में प्रोन्नत (एटीकेटी) छात्रों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

30. मूक्स एवं व्यावसायिक कोर्स का मूल्यांकन और ग्रेड पाइंटः

मूक्स, व्यावसायिक कोर्स, फील्ड परियोजनाओं/इंटर्नशिप/प्रशिक्षुता/सामुदायिक सहभागिता और सेवा/अनुसंधान परियोजनाओं के मूल्यांकन और ग्रेड पाइंट के लिए विश्वविद्यालय/SWAYAM पोर्टल/यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

31. अक्षर ग्रेड और ग्रेड पॉइंटः

सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट औसत (एसजीपीए) की गणना किसी दिए गए सेमेस्टर में छात्र के प्रदर्शन के माप के रूप में ग्रेड से की जाती है। एसजीपीए वर्तमान सत्र के ग्रेड पर आधारित होता है, जबकि संचयी जीपीए (सीजीपीए) अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लिए गए सभी पाठ्यक्रमों के ग्रेड पर आधारित होता है।

विश्वविद्यालय छात्रों के लाभ के लिए प्रत्येक कोर्स में प्राप्त अंकों और सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के आधार पर अंकों के भारित औसत का भी उल्लेख कर सकता है।

तालिका–3 : ग्रेडिंग प्रणाली

अक्षर ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	विवरण	अंको का परास (प्रतिशत)
O	10	अति उत्कृष्ट	>90 से <=100
A+	9	उत्कृष्ट	>80 से <=90
A	8	बहुत अच्छा	>70 से <=80
B+	7	अच्छा	>60 से <=70
B	6	औसत से ऊपर	>50 से <=60
C	5	औसत	>40 से <=50
P	4	उत्तीर्ण	=40
F	0	असफल	<40
Ab	0	अनुपस्थित	Absent

एसजीपीए और सीजीपीए की गणनाः

एसजीपीए और सीजीपीए की गणना यूजीसी की अनुसंशा के अनुसार की जाएगी; सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) और संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः

i- एसजीपीए, छात्र द्वारा लिए गए सभी कोर्स में प्राप्त ग्रेड प्वाइंट और क्रेडिट की संख्या के गुणनफल के योग और छात्र द्वारा किए गए सभी कोर्स के क्रेडिट की संख्या के योग का अनुपात है, अर्थात –

$$SGPA\ (S_i) = \Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i$$

जहां C_i, i^{th} कोर्स के क्रेडिट की संख्या है और G_i, i^{th} कोर्स में छात्र द्वारा प्राप्त ग्रेड अंक है।

एसजीपीए की गणना के लिए उदाहरण:

सेमेस्टर	कोर्स	क्रेडिट	लेटर ग्रेड	ग्रेड अंक	(क्रेडिट X ग्रेड)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोर्स 1	3	A	8	3 X 8 = 24
1	कोर्स 1	4	B+	7	4 X 7 = 28
1	कोर्स 1	3	B	6	3 X 6 = 18
1	कोर्स 1	3	O	10	3 X 10 = 30
1	कोर्स 1	3	C	5	3 X 5 = 15
1	कोर्स 1	4	B	6	4 X 6 = 24
		20			139
					एसजीपीए = 139/20 = 6.95

II- संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना भी उसी प्रकार से की जाती है, जिसमें किसी कोर्स के सभी सेमेस्टरों में छात्र द्वारा किए गए सभी पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है, अर्थात —

$$CGPA = \Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i$$

जहां S_i, i^{th} सेमेस्टर का एसजीपीए है एवं C_i, उक्त सेमेस्टर का कुल क्रेडिट की संख्या है।

CGPA की गणना का उदाहरण:

सेमेस्टर 1	सेमेस्टर 2	सेमेस्टर 3	सेमेस्टर 4
(1)	(2)	(3)	(4)
क्रेडिट 20 एसजीपीए 6.9	क्रेडिट 20 एसजीपीए 7.8	क्रेडिट 20 एसजीपीए 5.6	क्रेडिट 20 एसजीपीए 6.0
सीजीपीए = (20 x 6.9 + 20 X 7.8 + 20 X 5.6 + 20 X 6.0)/80 = 6.58			

एसजीपीए और सीजीपीए को 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा और प्रतिलेख में दर्ज किया जाएगा। स्नातकपूर्व प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण करने पर, सीजीपीए की गणना की जाएगी और यह मान प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पर दर्शाया जाएगा। 3 वर्षीय (6 सेमेस्टर) स्नातकपूर्व डिग्रियों में तालिका 4 के अनुसार प्राप्त श्रेणी भी दर्शाई जायेगी।

तालिका 4: श्रेणीयों का वितरण

श्रेणी	मानदंड
(1)	(2)
प्रथम श्रेणी विशिष्टता के साथ	छात्र ने 7.50 या उससे अधिक सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किया हैं।
प्रथम श्रेणी	छात्र ने 6.00 या उससे अधिक लेकिन 7.50 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किया हैं।
द्वितीय श्रेणी	छात्र ने 4.50 या उससे अधिक लेकिन 6.00 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किया हैं।
तृतीय श्रेणी	छात्र ने 4.00 या उससे अधिक लेकिन 4.50 से कम सीजीपीए के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट अर्जित किया हैं।

नोटः– अन्य शैक्षणिक मामलों में इसके अनुप्रयोग को सुगम बनाने के लिए सीजीपीए को प्रतिशत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

समतुल्य प्रतिशत = सीजीपीए x 10, प्रतिशत को दूसरे दशमलव बिंदु तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उम्मीदवार को प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री तभी प्रदान की जाएगी जब यह प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित कर लेगा।

32. पदोन्नति के नियमः

क. किसी छात्र को प्रथम सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद पदोन्नत किया जाएगा और चाहे कितने भी बैक पेपर हों, द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

ख. कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के तुरंत बाद, तृतीय सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश निश्चित कर दिया जाएगा और उसे तृतीय सेमेस्टर में पदोन्नत कर दिया जाएगा, बशर्ते उसने प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित कर लिए हों।

ग. किसी छात्र को तृतीय सेमेस्टर के तुरंत बाद पदोन्नत किया जाएगा और चाहे कितने भी बैक पेपर हों, चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है।

घ. किसी छात्र को चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद, पाँचवें सेमेस्टर में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है और उसका प्रवेश स्थायी हो जाएगा और उसे पाँचवें सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसने तीसरे और चौथे सेमेस्टर दोनों को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट अर्जित कर लिए हों। इसके अतिरिक्त, छात्र को पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी पेपर पास करने होंगे।

ङ किसी छात्र को पाँचवें सेमेस्टर के तुरंत बाद छठे सेमेस्टर में पदोन्नत किया जाएगा और वह किसी भी संख्या में बैक पेपर के साथ में प्रवेश ले सकता है।

च. विषम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी, इसी प्रकार सम सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ आयोजित की जाएगी।

छ. इसके अलावा, जिन छात्रों ने चौथे सेमेस्टर तक सभी पेपर पास कर लिए हैं, उनके लिए छठे सेमेस्टर के साथ–साथ पाँचवें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ज. अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की घोषणा के बाद चौथे सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, केवल छठे सेमेस्टर में बैक पेपर वाले छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

झ. कोई छात्र छठे सेमेस्टर तक सभी सेमेस्टर पास करने के बाद ही सातवें सेमेस्टर (स्नातकपूर्व के चौथे वर्ष) में प्रवेश ले सकता है।

ञ. किसी छात्र को सातवें सेमेस्टर की परीक्षा के तुरंत बाद प्रमोट किया जाएगा, सातवें सेमेस्टर में बैक पेपरों की संख्या पर ध्यान दिए बिना, 8वें सेमेस्टर (स्नातक के चौथे वर्ष) में अनंतिम रूप से प्रवेश ले सकता है। इसके अलावा, सातवें सेमेस्टर के बैक पेपरों को पास करने के लिए 8वें सेमेस्टर के साथ 7वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ट. सेमेस्टर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद 8वें सेमेस्टर की एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। 8वें सेमेस्टर में बैक पेपर वाले कोई भी छात्र इस विशेष परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे।

ठ. कोई छात्र चौथे वर्ष के प्रारंभ होने से पहले, निर्धारित तरीके से, इसके लिए आवेदन करके चौथे वर्ष में ऑनर्स कोर्स का चयन कर सकते है। प्रमुख विषय में चार वर्षीय यूजी ऑनर्स डिग्री उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जो तालिका 5 के अनुसार 160 क्रेडिट के बराबर या उससे अधिक के साथ चार वर्षीय स्नातकपूर्व डिग्री प्रोग्राम पूर्ण करते हैं।

ड. इसके अलावा, जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या समकक्ष 7.5 सीजीपीए प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में शोध विषय चुन सकते हैं। उन्हें संबंधित विभाग के किसी संकाय सदस्य के मार्गदर्शन में एक शोध परियोजना या शोध प्रबंध करना होगा। शोध परियोजना/शोध प्रबंध मुख्य विषय में होना चाहिए। उनके परियोजना कार्य के शोध परिणाम समकक्ष–समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जा सकते हैं या सम्मेलनों/सेमिनारों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या पेटेंट कराए जा सकते हैं।

ढ. यदि किसी छात्र को निरूद्ध दिया जाता है या उच्च सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जावेगा, उसे तब तक निरूद्ध किया जाएगा जब तक उसके बैकलॉग पेपर उत्तीर्ण नहीं कर लेते। इसके लिए उसे अगली उपयुक्त परीक्षा में भाग लेना होगा, बशर्ते कि यह परीक्षा कार्यक्रम के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर पूरी हो जाए। ऐसे छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक उस संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आगे बढ़ाए जाएँगे जिसमें वह उपस्थित हो रहा है।

ण. 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पाठ्यक्रमों पर विचार किया जाएगा और 0.5 को पूर्णांकित किया जाएगा।

33. प्रतिलेख जारी करना:

लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट और एसजीपीए तथा सीजीपीए में अनुशंसा के आधार पर, विश्वविद्यालय प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रतिलेख और सभी सेमेस्टरों में प्रदर्शन को दर्शाने वाला एक समेकित प्रतिलेख जारी करेगा।

34. क्रेडिट ट्रान्सफर:

क) क्रेडिट ट्रान्सफर यूजीसी द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसार लागू किया जाएगा।

ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा में अकादमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2021 के तहत स्थापित अकादमिक क्रेडिट बैंक के सदस्य संस्थान, समय–समय पर संशोधित इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार क्रेडिट स्वीकार और स्थानांतरित किया जा सकेगा।

ग) प्रावधिक पदोन्नति के प्रकरणों को छोड़कर, विश्वविद्यालय छात्रों को क्रेडिट ट्रान्सफर की सुविधा प्रदान करेगा। हालाँकि, छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए कोर्स के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसमें छात्र प्रवेश चाहता है।

35. सामान्यः

क) एक बार छात्र द्वारा कार्यक्रम उत्तीर्ण कर लेने के बाद, उसे दोहराने या उसमें सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा।

ख) विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्योग का प्रावधान होगा।

ग) निकास का विकल्प केवल सम सेमेस्टर के अंत में उपलब्ध होंगे और प्रवेश का विकल्प केवल विषम सेमेस्टर के आरंभ में ही प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार उपलब्ध होंगे।

घ) यदि कोई छात्र द्वितीय सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा देता है और तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश को त्याग देता है और भविष्य में चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। यह अन्य विषम सेमेस्टर पर भी लागू है।

ङ) एनएचईक्यूएफ से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में समावेशित नहीं किया गया है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर अध्यादेश/विनियम/दिशानिर्देशों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

च) यदि अध्यादेश में सम्मिलित नहीं किए गए मामलों से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो विश्वविद्यालय या यूजीसी के अध्यादेश/स्टेट्यूट में किए गए प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

छ) एबीसी और बहु प्रवेश और निकास से संबंधित कोई भी बिंदु जो इस अध्यादेश में सम्मिलित नहीं है, उसके संबंध में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार समय–समय पर जारी यूजीसी दिशानिर्देशों/ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किया जायेगा।

ज) यदि इस अध्यादेश के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे प्रबंधन बोर्ड को अभिमत के लिए भेजा जाएगा।

झ) कार्यक्रम से संबंधित, वैधानिक निकायों जैसे यूजीसी या किसी अन्य प्रासंगिक नियामक निकाय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा।

ञ) इस अध्यादेश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होने वाले मामलों में, विश्वविद्यालय के सामान्य नियम और विनियम लागू होंगे।

ट) यूजीसी संशोधन अधिसूचनाएँ, यदि कोई हों, विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित परिवर्तन सहित, विद्यमान अध्यादेश में सम्मिलित की गई मानी जाएँगी।

ठ) उपरोक्त के बावजूद, विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला अध्ययन कार्यक्रम यूजीसी या संबंधित वैधानिक निकाय के प्रासंगिक विनियमों और मानदंडों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

Table 5

Table: Sample UGCF for Multidisciplinary Course of Study

Semester	Core (DSC)	Elective (DES)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (ABC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship / Apprenticeship/Project)2)	Value addition Course	Total Credits
I	Discipline A-1(4) Discipline B-1(4) Discipline C-1(4)		Choose one from a pool of courses GE-1(4)	Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
II	Discipline A-2(4) Discipline B-2(4) Discipline C-2(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study after securing the requisite 44 credits in semester I and II								Total = 44 Credit
III	Discipline A-3(4) Discipline B-3(4) Discipline C-3(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) or Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
IV	Discipline A-4(4) Discipline B-4(4) Discipline C-4(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) or Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study after securing the requisite 88 credits on completion of semester IV								Total = 88 Credit
V	Discipline A-5(4) Discipline B-5(4) Discipline C-5(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-5(4)		Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)			22 Credits
VII	Discipline A-6(4) Discipline B-6(4) Discipline C-6(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-6(4)		Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)			22 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 132 credits on completion of semester VI								Total = 132 Credits

VII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses **OR** Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course **OR** Choose one DSE and two GE(4) courses **OR** All three GE 7,8 & 9 (Total = 12)			Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	**22 Credits**
VIII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses **OR** Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course **OR** Choose one DSE and two GE(4) courses **OR** All three GE 10,11 & 12 (Total = 12)			Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	**22 Credits**
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honors or Honors with Academic Project/Entrepreneurship) after securing the requisite 176						**Total = 176 Credits**

University Logo

FIRST SEMESTER

ANNEXURE -S-1

Logo in water mark
----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Programme:-
Name of the University:-
Address of the University:-

Batch	Year
Enrollment No.	Roll No.
Name of the Student	Examination
Father's/Husband's Name	Mother's Name

Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
TOTAL		20			146
SGPA		146/20			7.30

* Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE								
SEMESTER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
TOTAL CREDITS								
OBTAINED CREDITS								
ADDITIONAL CREDITS								
SGPA								
ATTEMPT								
RESULT								

#SGPA -Semester Grade Point Average
CGPA - Cumulative Grade Point Average Equivalent percentage = CGPA x10

Date of Result

Controller of Examination

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 मई 2026

क्रमांक GENS/9406/2026/38-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25—05—2026 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार मिश्रा, उप—सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th May 2026

NOTIFICATION

No. GENS/9406/2026/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/23457 Dated 5-2-2026 the amended Ordinance No. 32(A) of O.P. Jindal University, Raigarh has been approved under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.

3. The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR MISHRA, Deputy Secretary.

O. P. JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C.G.)

ORDINANCE NO. – 32(A)

Ordinance for the Grant of Undergraduate Degree and Postgraduate Degree in accordance with provisions of University Grants Commission (Minimum Standards of Instruction for the Grant of Undergraduate and Postgraduate Degree) Regulations, 2025.

1. Short Title and Commencement:

1.1 This Ordinance shall be called the Ordinance for grant of certificates, diploma, Under Graduate Degree and Post Graduate Degree by **the O.P. Jindal University, Raigarh (C.G.)** University. However, the programmes regulated by Bar Council of India (BCI), Pharmacy Council of India (PCI), National Medical Commission (NMC), Indian Council of Agricultural Research (ICAR) shall be outside the purview of this Ordinance.

1.2 This Ordinance shall be applicable from the Academic Session **2025-26** onwards from the Ist Semester of the Programmes run by the University.

1.3 The Provisions of the Ordinance shall apply to the four year (eight semester) Bachelor Degree (Honours /Honours with Research) Programme, three year (six semester) Bachelor Degree Programme, two year Undergraduate Diploma Programme, one year Undergraduate Certificate Programme, two year Master Degree Programme, one year Master Degree Programme and one year Post Graduate Diploma. Following shall be the Programmes run by the University:-

S.No.	Name of Faculty	Name of Programme
(1)	(2)	(3)
1	Faculty of Engineering & Technology	**B. Tech. / Bachelor of Technology** – Civil Engineering, Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning), Computer Science and Engineering (Cyber Security), Computer Science and Engineering (Data Science), Computer Science and Engineering (Internet of Things) Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Mechanical Engineering (Robotics & AI), Mechanical Engineering (Mechatronics and Automation), Metallurgical and Materials Engineering, Mining Engineering, Electrical Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electrical and Computer Engineering, Electrical Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning), Electrical Engineering (Energy Technology), Industrial & Production Engineering, Electronics & Communication Engineering, Power Technology. **M. Tech./ Master of Technology** – Structural Engineering, Power Electronics & Power Systems, Manufacturing Technology and Automation, Power Plant Engineering and Energy Management, Heat Power and Thermal Engineering, Material Science and Technology, Metallurgy and Material Technology, Computer Science and Engineering

2	Faculty of Science	**B.Sc./Bachelor of Science** **M.Sc./ Master of Science** – Physics, Chemistry, Mathematics, Mathematics and Computing, Industrial Biotechnology, Industrial Chemistry, Data Science and Analytics, Data Science, Molecular Biology, Biochemistry, Genetics, Microbiology, Cell Biology, Bioinformatics, Food and Nutrition, Environmental Science and Sustainability, Quantum Computing, Statistics, Forensic Science, Anthropology, Nanotechnology, Home Science.
3	Faculty of Management Science	**B. Com. / Bachelor of Commerce** **BBA / Bachelor of Business Administration** **BA in Economics/ Bachelor of Arts in Economics** **MBA/Master in Business Administration,** **M. Com/Master of Commerce**
4	Faculty of Education	**BA** **MA in Education**

2. **Definitions.** – In this Ordinance, unless the context otherwise requires, -

i. **"Act"** means the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005, as amended from time to time.

ii. **"Academic Council"** means the body empowered to take decisions in all academic matters in the University;

iii. **"Academic Year"** means a duration of twelve months commencing either in January /February or in the month of July/August, as the case may be, of every calendar year;

iv. **"Award"** means qualifications such as certificate, diploma and degree awarded by the University when a student has met the requirements of the qualifications;

v. **"Academic Bank of Credits (ABC)"** means an academic service mechanism as a digital, virtual or online entity established by the Commission with the approval of the Central Government to facilitate students to become its account holders, thereby paving the way for seamless student mobility between or within the University and other Higher Educational Institutions through a formal system of credit recognition, credit accumulation, credit transfers and credit redemption to promote distributed and flexible teaching-learning;

vi. **"Assessment Bands"** means clubbing of levels between two mandatory stages as per NCrF levels are equated with the assessment stage which will be mandatory stage for a student/learner to clear;

vii. **"Biannual Admission"** means the process of admitting students twice a year i.e. in July/August and in January/February;

viii. **"CGPURC"** means Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission;

ix. **"Choice Based Credit System (CBCS)"** means a system wherein students can take courses of their choice, learn at their own pace, undergo additional courses and acquire more than the required credits, and adopt an interdisciplinary approach as per guidelines issued by statutory body;

x. **"Commission"** means the University Grants Commission (UGC);

xi. **"Course"** means one of the specified units which go to comprise a specified programme of study;

xii. **"Credit"** means the number of hours of instruction required per week over the duration of a semester as designed in the National Credit Framework (NCrF);

xiii. **"Credit Point"** means the products of grade point and number of credits for a course;

xiv. **"Credit requirement"** means the value assigned for a course/programme. A student who has met the credit requirements means he/she has successfully completed the course programme;

xv. **"Credit transfer"** means the mechanism by which the Higher Educational Institutions registered with the ABC are able to receive or provide prescribed credits to individual Academic Bank Accounts in adherence to the norms for the courses undergone /experiences gained by the students through the offline/online/Private/RPL mode;

xvi. **"Cumulative Grade Point Average (CGPA)"** means overall cumulative performance of a student over all semesters. The CGPA is the ratio of total credit points secured by a student in various courses up to the semester concerned and the sum of the total credit points of all the registered courses in those semester concerned. It is expressed up to two decimal places;

xvii. **"Degree"** means a degree awarded by a Higher Educational Institution in accordance with the provisions of section 22(3) of the UGC Act, 1956;

xviii. **"Dual Degree"** means earning two sperate degrees either from one HEI or more than one HEIs;

xix. **"Government"** means Government of Chhattisgarh;

xx. **"Grade Point"** means a numerical weight allotted to each letter grade on a 10-point scale, as prescribed by the University, from time to time;

xxi. **"Grade Sheet"** means a certificate based on the grades earned by the student. The grade sheet shall contain the course details (code, title, number of credits, grade secured etc.) along with SGPA of the semester and CGPA earned till that semester. The final semester grade sheet shall also reflect the cumulative total of marks obtained by the student in all semesters out of maximum marks allocated for which the grades of the program were evaluated. However, the final result shall be based on the grades/CGPA.

xxii. **"Higher Educational Institution"** means the Higher Education Institutions (HEIs) which are empowered to award degrees by themselves or through their affiliating Universities in accordance with Section 22 of the UGC Act, 1956;

xxiii. **"Learning outcome"** means statements of what a learner knows, understand and is able to do on completion of a learning process and a programme/course of study;

xxiv. **"Letter Grade"** means an index of the performance of a student in a course. Grades are denoted by letters – O, A⁺, A, B⁺, B, C, P, F and AB;

xxv. **"Levels"** means a series of sequential stages, as given in National Credit Framework (NCrF), expressed in terms of a range of learning outcomes against which typical qualifications are positioned/located.

xxvi. **"Massive Open Learning Courses (MOOCs)"** means such online courses that are developed as per the following the four quadrant approach.

xxvii. **"Multiple entry and exit"** means an enabling mechanism wherein the learner can exit after a level and join back to continue in the programme and acquire higher qualifications within a specified duration;

xxviii. **"National Credit Frame Work (NCrF)"** means a comprehensive credit framework encompassing elementary, school, higher, and vocational education & training, integrating creditisation of learning in various dimensions like academics, vocational skills and experiential learning including relevant experience and proficiency/professional levels acquired;

xxix. **"National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF)"** means a descriptive framework formulated by UGC that organizes qualifications according to a series of levels of knowledge/skills;

xxx. **"Online Mode"** means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using the internet, e-learning materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology-assisted mechanisms and resources;

xxxi. **"Open and Distance Learning Mode (ODL)"** means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming the separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner support services to deliver teacher-learning experiences, including practical and work experiences;

xxxii. **"Programme"** or **"Programme of study"** means a higher education programme pursued for a degree specified by UGC under sub-section (3) of section 22 of the UGC act;

xxxiii. **"Semester"** means an academic session spread over 14 – 20 weeks of duration of teaching work. In case of Academic Year commencing from July, the odd semester shall normally be scheduled from July to December and the even semester shall be scheduled from January to July. In case of Academic Year commencing from January, the odd semester shall normally be scheduled from January to July and the even semester shall be scheduled from July to December;

xxxiv. **"Semester Grade Point Average (SGPA)"** means a measure of performance of a student in a particular semester. It is ratio of total credit points secured by a student in various courses registered in a semester and the total credits of all courses in that semester. SGPA shall be expressed up to two decimal places;

xxxv. **"Recognition of Prior Learning (RPL)"** means an assessment process designed to evaluate an individual skills, knowledge, and experience acquired through formal, non-formal, or informal learning experiences;

xxxvi. **"Student"** means a person admitted to and pursuing a specific credit based course/ programme of study in the University;

xxxvii. **"Transcript"** means a certificate issued to all enrolled students in a program after successful completion of the program. It shall contain the SGPA of all semesters and the CGPA;

xxxviii. **"UG Certificate"** means a certificate awarded after completing 1 year of study (2 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;

xxxix. **"UG diploma"** means a diploma awarded after 2 years (4 semesters) in the chosen fields of study in a UG programme;

xl. **"University"** means O. P. Jindal University, Raigarh (C.G.);

3. Eligibility for Admission and availability of seats–

a) A candidate who has passed Level 4/Class 12 schooling from a recognized Board of Education, either through formal schooling or through the open school system, or its equivalent shall be eligible for admission to an undergraduate programme in the University. Admission shall be given on the basis of merit and as per admission rules & guidelines for admission to a programme and regulation framed by UGC & State Government, from time to time.

b) A candidate, irrespective of the disciplines taken by him in Level 4/Class 12 schooling, is eligible for admission in any discipline of UG Programme provided the student qualifies the National Level or University Level entrance examination in the discipline of UG programme. The University shall provide the necessary bridge course to the students to address the knowledge gaps in case the same is needed for students from varied disciplines are admitted.

c) A student can pursue two UG programmes simultaneously and earn dual degree with flexibility in terms change of discipline/institution /mode of learning as given in the UGC's Curriculum and Credit Framework for undergraduate programmes, and guidelines issued by UGC for pursuing Two Academic Programmes simultaneously, under intimation to the University. A student can pursue two academic programmes, one in full time physical mode and another in Open and Distance Learning (ODL)/Online mode provided that class timings for one programme do not overlap with the class timings of the other programme. Furthermore, the Degree or diploma programmes under ODL/Online mode shall be pursued with only such HEIs which are recognized by UGC/Statutory Council/Govt. of India for running such programmes.

d) Learning from multiple modes other than regular modes such as ODL, online and RPL modes shall be creditizable through a well defined assessment process and the same shall be subject to the guidelines /regulations notified by UGC on ODL, Online and RPL, from time to time.

e) International students shall be admitted in the University in accordance with the "Guidelines for Admission and Supernumerary seats of International Students in Undergraduate and Postgraduate Programmes in Higher Educational Institutions in India", as amended from time to time. The University may create up to 25% supernumerary seats exclusively for international students over and above the total sanctioned post which will not include the international students under exchange programmes or through Memorandum of Understanding (MoU) between the University and other HEIs or between Government of India and other countries. The University shall admit international students based on the equivalence of entry qualification held by him, to be determined by UGC or any other body recognised by UGC for such purpose or the concerned regulatory body of the country.

f) Learnings achieved by the student outside of formal learning or though learning and training in the work place or in the community shall be based on the validation of prior learning outcomes achieved such student with experience and expertise in any particular profession shall be assessed by the University, as per the UGC "Guidelines for Implementation of Recognition of Prior Learning (RPL) in Higher Education", as amended from time to time.

g) Student enrolment normally in any programme shall be restricted to 60 seats per section. However, in case of higher seats already approved by the appropriate regulatory bodies, the number of seats per section shall be as per the approval given by the regulatory bodies. In case of greater demand for more admissions, in a programme, the University can open more sections under intimation to CGPURC. It shall be incumbent upon the university to follow UGC norms, in this regard.

h) On the basis of availability of academic and physical facilities, maximum of 10 % of seats may be earmarked for eligible lateral entrants in the second year, third year and fourth year if the student has successfully completed the first year, second year and third year respectively of the same programme and wants to re-enter into the programme after a break in studies, under intimation to CGPURC.

i) The process of admission for 1st semester of all programme shall normally start from June/July of every year. However, in view of "biannual admission" envisaged by UGC, under certain circumstances, the University may also start the process of giving admission for 1st semester in the month of December/January also in a programme for which adequate infrastructure and teachers are available and have taken approval from CGPURC.

j) The notice for admission to all programmes shall be published by the University in it's web site and at other appropriate places, mentioning therein the last date and mode of submission of application form, number of available seats, eligibility criteria, relevant documents required to be submitted for admission, duration of the programme etc.

k) There shall be a provision for multiple entry and exit points, subject to the fulfilment of criteria laid down, subsequently in this Ordinance.

l) To enable multiple entry and exit points in the academic programmes, qualifications such as Certificate, Diploma, and Degree are organized in a series of levels in an

ascending order from level 4.5 to level 6 - Level 4.5 represents Certificate, level 5 represents Diploma, level 5.5 represents Bachelor's Degree and Level 6 represents Bachelor Degree (Honours/Honours with Research)/ B.Tech / B.E. / PG-Diploma Qualification and minimum credit requirements are as mentioned in **Table-1**, along with the entry and exit options for students, who enter the undergraduate programme.

m) **Documents required** (Transfer Certificate /Caste Certificate /Mark sheets /Migration Certificate etc.) for admission to these programmes shall be such as may be decided by the University, as per guidelines /instructions issued by the appropriate body, from time to time.

4. **Nomenclature of Degrees, Diploma & Certificates and Credit requirements –**

a) **UG Certificate:** A student who opt to exit after successful completion of I[st] year (2[nd] Semester) and have secured at least 40 credits shall be awarded a UG Certificate if he has, in addition, undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the credit earned by him after the completion of 2[nd] Semester. He may be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

b) **UG Diploma:** A student who opt to exit after successful completion of 2[nd] year (4[th] Semester) and have secured at least 80 credits shall be awarded a UG Diploma if he has, in addition, undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the credit earned by him after the completion of 4[th] Semester. He may be allowed to re-enter the degree programme within three years and complete the degree programme within the stipulated maximum period of seven years.

c) **3 year UG Degree:** A student who wish to undergo a 3 year UG programme shall be awarded UG degree in the major discipline after successful completion of three years, securing 120 credits and satisfying the minimum credit requirement.

d) **4 year UG Degree (Honours) :** A four year UG Honours Degree in the major discipline shall be awarded to a student who completes a four year degree programme with 160 credits and satisfying the minimum credit requirement.

e) **4 year UG Degree (Honours and Research) :** A student who secures at least 75 % marks in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. He shall be required to do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the University. A research project/dissertation shall be in the major discipline. A student who secures 160-credit points including 12 credits in research project /dissertation shall be awarded UG degree (Honours and Research).

f) **UG Degree Programme with Single Major:** A student who secures a minimum of 50% credits from the major discipline for the 3-year/4-year UG degree shall be awarded a single major. For remaining 50% credits, the student shall choose skill courses, apprenticeships and multi-disciplinary subjects.

g) **UG Degree Programme with Double Major:** A student who secures a minimum of 40 % credits from the Major discipline for the 3-year/4-year UG degree shall be awarded a Double Major.

h) **Interdisciplinary UG Programmes:** In this programme, the credits for core courses shall be distributed among the constituent discipline/subject so as to get core competencies in the interdisciplinary programme.

i) **Multidisciplinary UG Programmes:** For a student pursuing a multidisciplinary programme of study, the credits of core courses shall be distributed among the broad discipline such as life sciences, physical sciences, mathematical and computer sciences, data analysis, social sciences, etc.

Note:-

a) The nomenclature of all the programmes shall be as per the guidelines issued by UGC, from time to time.

b) The University shall decide on the list of courses under major category and credit distribution for double major, interdisciplinary and multidisciplinary programmes. Minimum credit requirements for award of a degree under each category is given as hereinunder, in the form of a table.

Table 1: Qualification Type and Credit Requirements.

Sr. No.	NHEQF levels	Qualification title/nomenclature	Credit Requirements (Minimum)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Level 4.5	Undergraduate Certificate (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first year (2 semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: First year or 2 semesters of the undergraduate programme)	40 credits
2	Level 5	Undergraduate Diploma (in the field of learning/discipline) for those who exit after the first two years (4 semesters) of the undergraduate programme. (Programme duration: First two year or 4 semesters of the undergraduate programme)	80 credits
3	Level 5.5	Bachelor's Degree (e.g.: Bachelor of Arts; Bachelor of Science; Bachelor of Commerce; Bachelor of Business. Administration etc.) Programme duration- Three years of 6 semesters.	120 credits
4	Level 5.5	Bachelor of Vocation (B.Voc.). Programme duration - 3 years of 6 semesters.	120 credits
5	Level 6	Bachelor of Engineering (B.E.); Bachelor of Technology (B.Tech.) Programme duration – Four years of 8 semesters.	160 credits
6	Level 6	B.A.- B.Ed.; B.Sc.- B.Ed.; B.Com. – B.Ed. (4-year dual-degree Integrated Teacher Education Programme)	160 credits

7	Level 6	Bachelor's Degree (Honours/Honours with Research). Programme duration-Four years of 8 semesters.	160 credits
8	Level 6	Postgraduate Diploma. For those who exit after successful completion of the first year or two semesters of the 2-year Postgraduate programme. Programme duration- one year of 2 semester.	40 credits
9	Level 6.5	Master's degree. (e.g. M.A., M.Com., M.Sc. etc.) Programme duration-Two years of four semesters after obtaining a 3-year Bachelor's degree.	80 credits
10	Level 6.5	Master's degree (e.g. M.A., M.Com., M.Sc. etc.) Programme duration-One year of 2 semesters after obtaining a 4-year Bachelor's degree (Honours/Honours with research)	40 credits
11	Level 7	Master's degree (e.g. M.E., M.Tech. etc.) Porgramme duration-Two years of four semester after obtaining a Bachelor's degree (e.g. B.E., B.Tech. etc.)	80 credits
12	Level 8	Doctoral degree	Credits for course work and a thesis and published work

Note: -

(i) Honours students not undertaking research shall do 3 courses of 12 credits in lieu of a research project/Dissertation.

(ii) As per the guidelines promulgated by UGC/Statutory bodies, the university may allot additional credits in a manner that shall facilitate the students to meet the minimum credit requirements.

5. Curricular Components of The Undergraduate Programme –

The curriculum shall consist of major stream courses, minor stream courses and courses from other disciplines, language courses, skill courses, and a set of courses on Environmental education, understanding India, Digital and technological solutions, Health & Wellness, Yoga educations, and sports & fitness. At the end of the second semester, a student can decide either to continue with the chosen major or request for a change of major. The minor stream courses include vocational courses which shall help the student to equip with job-oriented skills.

6. Disciplinary/Interdisciplinary Major –

The major would provide the opportunity for a student to pursue in-depth study of a particular subject or discipline. A Student may be allowed to change major within the broad discipline at the end of the second semester by giving her/him sufficient time to explore interdisciplinary courses during the first year. Advanced-level disciplinary/interdisciplinary course, a course in research methodology, and a project/dissertation shall be conducted in the seventh semester. The final semester shall be devoted to seminar presentation, preparation, and submission of project report/dissertation. The project work/dissertation shall be on a topic in the disciplinary programme of study or an interdisciplinary topic.

7. **Disciplinary/Interdisciplinary Minor –**

A Student shall have the option to choose courses from disciplinary/interdisciplinary minors and skill-based courses relating to a chosen vocational education programme. A student who takes a sufficient number of courses in a discipline or an interdisciplinary area of study other than the chosen major shall quality for a minor in that discipline or in the chosen interdisciplinary area of study. A student may declare the choice of the minor and vocational stream at the end of the second semester, after exploring various courses.

8. **Vocational Education and Training –**

Vocational Education and Training shall form an integral part of the undergraduate programme to impart skills along with theory and practical. A minimum of 12 credits shall be allotted to the Minor stream relating to Vocational Educational and Training and these can be related to the major or minor discipline or choice of the student. These courses shall be useful to find a job for those students who exit before completing the programme.

9. **Courses from Other Disciplines (Multidisciplinary) (9 Credits) –**

All UG students are required to undergo 3 introductory-level courses relating to any of the broad disciplines given below. These courses are intended to broaden the intellectual experience and form part of liberal arts and science education. Students are not allowed to choose or repeat courses already taken at the higher secondary level (class 12) in the proposed major and minor stream under this category.

a) **Natural and Physical Sciences:** A students can choose basic courses from disciplines such as Natural Science, for example, Biology, Botany, Zoology, Biotechnology, Biochemistry, Chemistry, Physics, Biophysics, Astronomy and Astrophysics, Earth and Environmental Sciences, Microbiology, Forensic Science etc.

b) **Mathematics, Statistics, and Computer Application:** Courses under this category shall facilitate the student to use and apply tools and techniques in their major and minor disciplines. The course may include training in programming software like Python among others and applications software like STATA, SPSS, Tally, etc. Basic courses under this category shall be helpful for gaining knowledge in science and social science in data analysis and the application of quantitative tools.

c) **Library, Information, and Media Sciences:** Courses from this category shall help the student to understand the recent developments in information and media science (journalism, mass media, and communication).

d) **Commerce and Management:** Courses from this category includes Business management, Accountancy, Finance, Financial Institutions, Fintech, etc.

e) **Humanities and Social Sciences:** Courses relating to Social Sciences, for example, include for e.g. Anthropology, Communication and Media, Economics, History, Linguistics, Political Science, Psychology, Social Work, Sociology, etc These courses

shall enable students to understand the individuals and their social behaviour, society, and nation. Students shall also be introduced to survey methodology from available large-scale database for India. The courses under humanities include, for example, Archaeology, History, Comparative Literature, Arts & Creative expressions, Creative writing and Literature, language(s), Philosophy, etc., and interdisciplinary courses relating to humanities. The list of Courses that can include interdisciplinary subjects such as Cognitive Science, Environmental Science, Gender Studies, Global Environment & Health, International Relations, Political Economy and Development, Sustainable Development, Womens' and Gender Studies, etc. shall be useful to understand society.

10. Ability Enhancement Courses (AEC) (08 Credits): Modern Indian Language (MIL) & English Language Focused on Language and Communication Skills.

Students are required to achieve competency in a Modern Indian Language (MIL) and in the English language with special emphasis on language and communication skills. The courses shall aim at enabling the students to acquire and demonstrate the core linguistic skills, including critical reading and expository and academic writing skills that shall help them to articulate their arguments and present their thinking clearly and coherently and recognize the importance of language as a mediator of knowledge and identity. It would also enable students to acquaint themselves with the cultural and intellectual heritage of the chosen MIL and English language, as well as provide them a reflective understanding of the structure and complexity of the language/literature related to both the MIL and English language. The courses shall also emphasize development and enhancement of skills such as communication, and the ability to participate/conduct discussion and debate.

11. Skills Enhancement Courses (SEC):

These courses are aimed at imparting practical skills, hands-on training, soft skills, etc., to enhance the employability of students. The University shall design courses as per the students' needs and available resources.

12. Value-Added Courses (VAC) common to all UG Students (6-8 Credits)

i. **Understanding India:** The course aims at enabling the students to acquire and demonstrate the knowledge and understanding of contemporary India with its historical perspective, the basic framework of the goals and policies of national development, and the constitutional obligations with special emphasis on constitutional values and fundamental rights and duties. The course shall focus on developing an understanding among student-teachers of the Indian knowledge systems, the Indian education system, and the roles and obligations of teachers to the nation in general and to the school/community/society. The course shall endeavour to deepen knowledge about understanding of India's freedom struggle and of the values and ideals that it represented to develop an appreciation of the contributions made by people of all sections and regions of the country. The course shall help learners understand and cherish the values enshrined in the Constitution of India and help them prepare for their roles and responsibilities as effective citizens of a democratic society.

ii. **Environmental science/education:** The course aims to equip students with the ability to apply the acquired knowledge, skills, attitudes and values required to take appropriate actions for mitigating the effects of environmental degradation, climate change and pollution, effective waste management, conservation of biological diversity, management of biological resources, forest and wildlife conservation sustainable development and living. The course shall also deepen the knowledge and understanding of India's environment, in its totality, its interactive processes and its effects on the future quality of people's lives.

iii. **Digital and technological solutions:** Courses in cutting-edge areas that are fast gaining prominences such as Artificial Intelligence (AI), 3-D machining, big data analysis, machine learning, drone technologies and Deep learning with important applications to health, environment and sustainable living that shall be woven into undergraduate education for enhancing the employability of the youth.

iv. **Health & Wellness, Yoga education, sports and fitness:** Course components relating to health shall seek to promote an optimal state of physical, emotional, intellectual, social, spiritual and environmental well-being of a person. Sports and fitness activities shall be organised outside the regular University hours. Yoga education would focus on preparing the students physically and mentally for the integration of their physical, mental and spiritual faculties and also equipping them with basic knowledge about one's personality, maintaining self-discipline and self-control, to learn to handle oneself in all life situations. The focus on sports and fitness components of the courses shall be on the improvement of physical fitness like strength, speed, coordination, endurance and flexibility; acquisition of sports skills including motor skills as well as basic movement skills relevant to a particular sport; improvement of tactical abilities; and improvement of mental abilities.

The University shall introduce other innovative value-added courses relevant to the discipline or common to all UG programmes as per requirement.

13. Indian Knowledge System (IKS):

Courses related to IKS shall be incorporated in the syllabus.

a) Topics related to IKS shall be an integral part of the UG course curriculum for all disciplines

b) The credits taken into IKS shall be 5% of total mandated credits in 4-year UG programme. 50% of the credits apportioned to the IKS shall be assigned to the core disciplinary and multidisciplinary courses. A student may be allowed to opt for internship/apprenticeship in any of the disciplines/topics that are part of IKS.

c) In addition, the University shall ensure to have one/two paper in foundation courses on IKS preferably during the first four semester of UG programme minimum three/four credit for three-year/four-year UG programme respectively as a part of Value-added Course (VAC).

d) The courses under IKS shall be categorised into Foundational Courses (Specialised to IKS) and Elective Courses (Discipline Specific) in selected disciplines/ multidiscipline.

   i. **Foundational Courses:** This will cover the basic knowledge of IKS and it may contain basic knowledge of Indian literature, Culture, Astronomy, Arts & crafts, Architecture, music etc.

   ii. **Elective courses (Discipline Specific):** This course shall contain the advanced knowledge pertaining to the specific discipline such as Indian Mathematics and Indian Astronomy. It will be part of Major discipline.

14. Summer Internship/Apprenticeship (4 Credits):

A key aspect of the new UG programme is induction of the students into actual work situations. All students shall be required to undergo internships/Apprenticeships in a firm, industry or organisation or training in labs with faculty and researchers in the University or other HEIs/research institutions during the summer term. Students shall be provided with opportunities for internships with local industry, business organisations, health and allied areas, local governments (such as panchayats and municipalities), parliament or elected representatives, media organisations, artists, crafts persons and a wide variety of organisations so that students may actively engage with the practical side of their learning to further improve their employability. A student who wishes to exit after the first two semesters shall have to undergo a 4-credit work-based learning/internship during the summer in order to get a UG certificate.

15. Community Engagement and Service:

The curricular component of 'community engagement and service shall seek to expose students to the socio-economic issues in society so that the theoretical learnings can be supplemented by actual life experiences to generate solutions to real life problems. This can be part of summer term activity or part of a major or minor course depending upon the major discipline, to be decided by the University.

16. Field-based Learning/Minor project:

The field-based learning/Minor project shall provide opportunities to students to understand the different socio-economic contexts. It shall aim at giving students exposure to development related issues in both rural and urban settings. It shall also give opportunities to students to observe situations in rural and urban contexts, and to observe and study actual field situations regarding issues related to socio-economic development. Students shall be given the opportunities to gain a first-hand understanding and knowledge of the policies, rules & regulations, organisational structures, processes and programmes that guide that guide the development process. They would have the opportunity to gain an understanding of the complex socio-economic problems in the community and innovations required to generate solutions to the identified problems. This can be part of summer term project or part of a major or minor course depending upon the major discipline, to be decided by the University.

17. Research Project/Dissertation (12 Credits) :

Students opting for a 4-year Bachelor's degree (Honours with Research) are required to take up research projects under the guidance of a faculty member. The students are expected to complete the research project in the eighth semester. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be presented in conferences/seminars or may be patented.

The principle of calculating credits acquired by a candidate by virtue of relevant experiential learning including relevant experience and professional levels acquired and proficiency attained levels (post-completion of an academic grade/skill-based programme) by the learner/student in the industry for PG programmes is given in the Table below:

Credit Assignment for relevant experience/proficiency

Experience cum proficiency Levels	Description of the relevant experiential learning including relevant experience and professional level acquired and attaining proficiency levels	Weightage / multiplication Factor	No. of years of experience (Only Indicative)
(1)	(2)	(3)	(4)
Trained Qualification attained	If a student has completed the course work /education /training and has been taught the skills and knowledge needed for a particular job of activity.	1	Less than or equal to 1 year
Proficient	Proficient would mean having the level of advancement in a particular professions, skillset or knowledge.	1.33	More than 1 but less than or equal to 4
Expert	Expert means having high level of knowledge and experience in a trade or profession	1.67	More than 4 but less than or equal to 7
Master	Master is someone who has exceptional skill or knowledge of a subject/domain.	2	More than 7

18. Other Activities:

This component shall include participation in activities related to National Service Scheme (NSS), National Cadet Corps (NCC), Youth Red Cross, adult education/literacy initiatives, mentoring school students, and other similar activities.

19. Massive Open Online Courses (MOOCs)

MOOC's provide flexibility to learners to switch to alternative modes (off-line, ODL, online learning & hybrid mode). The University shall, as per the guidelines/recommendations received from UGC, allow up to 40 % of the total courses /credit units being offered in a semester of a programme offered through the SWAYAM/NPTEL or any other online UGC approved platform.

The University shall develop its guidelines for the implementation of MOOC-based courses. These guidelines shall outline the process of course selection, credit transfer, and other relevant aspect to ensure a smooth integration of MOOCs into the curriculum.

20. Structures For Undergraduate Programme: Semester System:

In the curriculum designed for the 3-year Bachelor programme/4-year Bachelor with Honours /Honours with Research, students get opportunities for multiple exits and entries in the programme with earning a Certificate/Diploma/Degree after the completion of required minimum credit units as per Table 1.

* Student exiting the programme after securing 40 credits (Level 4.5 who shall be awarded UG Certificate) or 80 credits (Level 5, who shall be awarded UG Diploma) are also required to secure 4 additional credits in work/domain based vocational courses offered during summer term or industrial internship /apprenticeship.

The 4-year Bachelor's degree programme is considered a preferred option since it would provide the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to a focus on the chosen major and minor as per the choice of the student (Table-IIA & Table -IIB)

Table IIA: Minimum credit requirement to award degree under each category

Sr. No.	Category of Course	Minimum Credit Requirement	
		3-Year UG Programmes	4-Year UG Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Major (Core) Courses	60 (50%)	80 (50%)
2	Minor (Elective) Courses	24	32
3	Multidisciplinary/Interdisciplinary/Allied Courses	09	09
4	AEC (Ability Enhancement Courses)	08	08
5	SEC (Skill Enhancement Courses)	09	09
6	VAD (Value Added Courses) including Indian Knowledge System (IKS)	07	07
7	Summer Internship	03	03
8	Dissertation (Research Project)		12 *
	Total Credits	120	160

Note:- *Honors student not undertaking research project will have to do three courses of 12 credits in lieu of a research project/dissertation.

Table IIB: The Semester-wise and Broad Course Category-wise Distribution of credits of the Undergraduate Programme:

Semester	Discipline Specific Courses Core	Minor	Inter-disciplinary Courses	Ability Enhancement courses (Language)	Skill Enhancement courses Internship/ Dissertation	Common Value-Added Courses	Total Credits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	(100 level)	(100 level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 course)	20
II	(100 level)	(100 level)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	(1 or 2 course)	20
	A student **exiting** the programme after securing 40 credits shall be awarded **UG Certificate in the relevant Discipline/Subject** provided he secures provided he has undergone a minimum 4-credit skill enhancement course(s) over and above the 40 credit earned for completing level 4.5.						40
III	(200 Level)	(200 & above)	(1 course)	(1 course)	(1 course)	-	20
IV	(200 Level)	(200 & above)	-	(1 course)	-	-	20
	A student **exiting** the programme after securing 80 credits shall be awarded UG **Diploma in** the relevant Discipline/Subject provided he secures additional 4 credit in skill based vocational courses offered during first year or second year summer term.						80
V	(300 Level)	(200 & above)	-	-	(Internship)	-	20
VI	(300 Level)	(200 & above)	-	-	-	-	20
	Students who want to undertake 3-year UG programme shall be awarded UG Degree in the relevant Discipline/Subject upon securing 120 credits.						120
VII	(400 Level)	(300 & above)	-	-	-	-	20
VIII	(400 Level)	(300 & above)	-	-	(Research Project/ Dissertation)	-	20
	A Student shall be awarded UG Degree (Honours) with Research in the relevant Discipline / Subject provided he secures 160 credits.						160

Note:

a) The total number of credits mentioned column (8) in each semester is minimum. The University may decide the number of credits for each course (e.g., major, Minor, Multidisciplinary, etc.) to fulfil the minimum number of credit requirements. The University may offer additional 10% credit, as per requirement.

b) Students may be permitted to audit course(s) of their choice offered by the University provided they meet the pre-requisite for the course.

c) A student has to earn a minimum of 50 % of total credits in a discipline to earn an undergraduate degree with a major in that discipline.

d) The level of minor stream courses can be from 300 or above level. 50% of the total credits from minors must be secured in the relevant subject/discipline and another 50% of the total credits from a minor can be earned from any discipline (multidisciplinary) as per students choice.

e) Students are not allowed to take the same courses studied in Level 4/class XII under the interdisciplinary category.

f) 40% of the credits in any category may be earned through online courses approved by the University as per the existing UGC regulations.

g) VIII-Semester core major shall be seminar-based with students' presentations and discussions.

h) Students shall be encouraged to enrol in activities such as NSS/NCC/Youth Red Cross, etc.

21. Structure of Postgraduate (PG) Programmes:

For 2-year PG Programme: Students entering 2-year PG programme after a 3-year Undergraduate programme can choose to do (i) only course work in the third and fourth semester or (ii) course work in the third semester and research in the fourth semester or (iii) only research in the third and fourth semester.

For 1-year PG Programme: Students entering 1-year PG after a 4-year Undergraduate programme can choose to do (i) only coursework or (ii) research or (iii) coursework and research.

For 5-year Integrated Programme (UG+PG): At the PG level, the curricular component of 5-year integrated programme will be similar to that of 2-year PG programme mentioned above.

Credit Distribution:

a) For 1-year PG

Curricular Components	PG Programme (one year) for 4-year PG (Hons./Hons. with Research) Minimum Credits			
	Course Level	Coursework	Research thesis/project/Patent	Total Credits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Coursework + Research	500	20	20	40
Coursework	500	40	-	40
Research	-	-	40	-

b) For 2-year PG

Curricular Components		Two-Year PG Programme (Generic and Professional) Minimum Credits			
		Course Level	Coursework	Research thesis/project/Patent	Total Credits
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
PG Diploma		400	40	-	40
I[st] Year (1[st] & 2[nd] Semester)		400 500	24 16	-	40
Students who exit at the end of 1[st] year (2[nd] Semester) shall be awarded a Postgraduate Diploma					
2[nd] Year (3[rd] & 4[th] Semester)	Coursework & Research	500	20	20	40
	Coursework (or)	500	40	-	40
	Research	-	-	40	40

Exit Point:

For those who join 2 year PG programmes, there shall only be one exit point. Students who exit at the end of I[st] year shall be awarded a Postgraduate Diploma.

The PG programme shall include vocational courses relevant to the chosen discipline.

22. Levels of Courses:

Courses shall be coded on the basis of learning outcomes, level of difficulty, and academic rigor. The coding structure is as follows:

i. **0-99:** Pre-requisite courses required to undertake an introductory course which will be a pass or fail course with no credits. It will replace the existing informal way of offering bridge courses that are conducted in some of the colleges/universities.

ii. **100-199:** Foundation or introductory courses that are intended for students to gain an understanding and basic knowledge about the subjects and help decide the subject or discipline of interest. These courses may also be prerequisites for courses in the major subject. These courses shall put focus on foundational theories, concepts, perspectives principles, methods and procedures of critical thinking in order to provide a broad understanding for taking up more advance courses. These courses seek to equip students with the general education needed for advance study, expose students to the breadth of different fields of study; provide a foundation for higher specialised higher level coursework; acquaint students with the breadth of (inter) disciplinary fields in the arts, humanities, social sciences, and natural sciences, and to the historical and contemporary assumptions and practical of vocational or professional fields; and to lay the foundation for higher level coursework.

iii. **200-299:** Higher-level courses including subject-specific courses intended to meet the credit requirements for minor or major areas of learning. These courses can be part of a major and can be pre-requisite courses for advanced-level major courses.

iv. **300-399:** Higher-level courses which are required for majoring in a disciplinary /interdisciplinary area of study for the award of a degree.

v. **400-499:** Advanced courses which would include lecture courses with practicum, seminar-based course, term papers, research projects, hands-on-training, internship/apprenticeship projects at the undergraduate level or First year Postgraduate theoretical and practical courses.

vi. **500-599:** Course at first-year Master's degree level for a 2-year Master's degree programme.

vii. **600-699:** Courses for second-year of 2-year Master's or 1-year Master's degree programme.

viii. **700-799 & above:** Courses limited to doctoral students.

23. Admission Paths for Postgraduate Programme:

a) Students shall be admitted to a 2-year postgraduate programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's programme.

b) Students completing a 4-year Bachelor's programme with Honous/Research, may be admitted to a 1-year Postgraduate programme.

c) A student is eligible for admission in a PG programme either in the major or minor discipline taken by the student in his /her UG programme.

d) Irrespective of the major or minor discipline taken by a student in a UG programme, a student is eligible for admission in any discipline of PG programmes if the student qualifies the National level or University level entrance examination in the discipline of PG programme.

e) Candidates who have completed 4-year UG programme or a 3-year UG and 2-year Pg programme or 5-year integrated programme (UG + PG) in STEM subjects will be eligible for admission in M.E., M.Tech. in allied areas.

f) The University shall also run an integrated five-year Bachelor's programme in specified subjects / programme.

Entry 5: The entry requirement for Level 6.5 is

a) A Bachelor's Degree (Honours/Research) for the one-year/two-semester Master's degree programme.

b) A Bachelor's Degree for the two-year/four-semester Master's degree programme.

c) A Bachelor's Degree for the one-year/two-semester Post-Graduate diploma programme.

d) A programme of study leading to the Master's degree and Post-Graduate Diploma is open to those who have met the entrance requirements, including specified levels of attainment, in the programme admission regulations. Admission to a programme of study is based on the evaluation of documentary evidence (including the academic record) of the applicant's ability to undertake postgraduate study in a specialist field of enquiry.

Exit 5: For postgraduate programmes, there shall only be one exit point for those who join the 2-year Master's programme, i.e. at the end of the first year of the Master's programme. Students who exit after the first year shall be awarded the Post-Graduate Diploma.

24. Credit Requirements of a Postgraduate Programme:

a) A one-year/two-semester Master's degree programme after a Bachelor's degree with Honours/Honours with Research shall require 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree with Honours/Honours with Research.

b) The two-year/four- semester Master's degree programme after a Bachelor's degree shall require a total of 80 credits from both years of the programme, with 40 credits in the first year and 40 credits in the second year of the programme at level 7.

c) A one-year/two-semester Post-Graduate Diploma programme after a Bachelor's degree and requires 40 credits for individuals who have completed a Bachelor's degree.

*A student shall be allowed to enter/re-enter only at the odd semester and can only exit after the even semester. Re-entry at various levels as lateral entrants in academic programme should be based on the earned credits and proficiency test records.

* The validity of credits earned shall be to a maximum period of 7-years or as specified by the ABC. The procedure for depositing credits earned, its shelf life, redemption of credits, would be as per UGC (Establishment and Operationalization of Academic Bank of Credits (ABC) scheme in Higher Education) Regulations, 2021.

25. Norms for Duration, Entry level Qualifications and Statutory Reservations of the Technical Programmes:

To make the students employable after every exit, the skill component with progressive enhancement in skills in respective disciplines may be introduced in the curriculum right from the 1st year of the program by the concerned regulatory body/University/Technical Board, as the case may be. While allowing exit at the end of first year, institutes may prescribe mandatory skill course module on Technical Communication and Computer Proficiency (Data Entry etc.), Civil /Mechanical Draftsmanship, Electrical maintenance etc.

Sr. No.	Academic Level	Entry Level Qualifications	Qualifications at Exit	NCrF Level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	10th Standard		10th Standard	3.0
2	1st year Diploma	10th Completed	A candidate exits with 10+1 year of Diploma; Certificate of Vocation (C. Voc.)	3.5
3a	12th Standard	Passed 11th Standard	12th Standard	4.0
3b	2nd year of Diploma	A candidate completing 10+1 year of Diploma (C. Voc.) or equivalent vocational training with level 3.5 or passed 12th Standard	A candidate exits with 10+2 years with Diploma of Vocation (D. Voc.)	4.0
4a	3rd year of Diploma	A candidate completing 10+2 years with Diploma of Vocation or equivalent vocational training with level 4	Diploma in Engineering	4.5

Sr. No.	Academic Level	Entry Level Qualifications	Qualifications at Exit	NCrF Level
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4b	1st year of UG Degree	A candidate completing 10+2 years with Diploma of Vocation or passed 12th standard or equivalent vocational training with level 4	UG Certificate	4.5
5	2nd year of UG Degree	A candidate with Diploma in appropriate branch of engineering /UG Certificate /equivalent vocational or training programme level 4.5	UG Diploma in Engineering	5.0
6	3rd year of UG Degree	A candidate with (10+3+1)/(12+2)/UG Diploma (Engineering) in appropriate domain with level 5	B.Voc. /B.Sc.	(Engg.) /UG degree
7	Final year of UG Degree	A candidate with 3 yrs Bachelor degree in Vocation /B.Sc. (Engg.)/ UG degree with Level 5.5	B.E. /B.Tech./UG	Degree (Honours)
8	1st year of PG Degree	A candidate with 4 yrs Bachelor degree (Level 6.00)	PG Diploma /M. Voc.	6.5
9	Final year of PG Degree	1st year of PG Degree /PG Diploma / M. Voc. (Level 6.5) in appropriate domain	M. Tech. /PG degree (Engg.) / PG degree	7.0
10	Ph.D./Fellow Programme	B.Tech. with 75% marks or equivalent CGPA /PG	-	8

26. National Credit Framework for UG and PG courses in Engineering:

National Credit Framework (NCrF) for UG & PG Courses in Engineering Students who exit after 2nd year of B.Tech. course must undergo skill modules on IT/Hardware Networking/ METLAB or Branch specific skill module. Course structure at 3rd year and 4th year of B.Tech. is already Engineering specific, students who exit after 3-years may be awarded UG Degree/B.Voc./B.Sc. (Engg.).

For Diploma students who exit after 1st year, Certificate of Vocation (C.Voc.) and who exit after 2nd year Industrial Training Certificate (ITC)/Diploma of Vocation may be awarded.

At each entry level, University shall indentify the educational gaps/skill gaps and suitable bridge courses may be offered.

Specialization shall be as per the Respective Regulatory Bodies issued from time to time.

27. Attendance:

Requirement of attendance shall be as per University Ordinance governing the examinations. In general, attendance of a least seventy-five percent shall be required in each course to appear in the end semester examination.

For special reasons such as prolonged illness deficiency in the percentage of attendance in each course may be condoned by the Vice Chancellor.

28. Examination & Evaluation:

Evaluation shall be based on continuous assessment, in which sessional work and the terminal examination shall contribute to the final grade. Sessional work shall consist of class tests, mid-semester examination(s), homework assignments, etc., as determined by the faculty in charge of the course of study. Progress towards achievement of learning outcomes shall be assessed using the following; time-constrained examinations; closed-book and open-book tests; problem-based assignments; practical assignment laboratory reports; observation of practical skills; individual project reports (case-study reports); team project reports; oral presentations, including seminar presentation; viva voce interviews; computerized adaptive assessment, examination on demand, modular certification, etc.

Each course shall correspond to an examination paper comprising of external and internal evaluations. The semester end theory examination for Major, Minor, Open/Generic and DSC (Discipline specific Course) vocational, value added, SEC (Skill Enhancement Course) and ABC (Ability Enhancement Course) shall be of a duration as promulgated through the examination's regulations approved by the Academic Council of the University. The credit structure for theory/Practical/tutorial, internal, external examinations and total marks for an examination shall be as per the programme structure approved by the Academic Council of the University as per UGC norms. Students shall acquire a minimum passing mark in internal and external examinations separately to be declared as pass in the respective courses, as prescribed by the Academic Council.

a) The academic performance of a candidate shall be evaluated in respect of the courses of study prescribed for each semester through the evaluation. The evaluation of students admitted in the programme shall be based on End Semester Examinations - 70% marks of total marks and Continuous Internal Assessment - 30% of total marks.

b) The End Semester examinations shall be held as per the academic calendar notified by the University and the duration of end semester examination shall be of three or two hours.

c) The minimum percentage of marks to pass the programme in each semester shall be 40% in each course comprising of end semester examinations and continuous evaluation.

d) A programme shall have a specified number of credits in each semester. The number of credits along with grade points that the student has satisfactorily cleared shall measure the performance of the student.

e) Semester examination result shall have following categories:

   i. **Passed** i.e., those who have passed in all courses of the semester examination in internal and external examination separately.

ii. **Promoted (ATKT)**, i.e., those who have earned minimum 50% of credits in a particular year including both the semesters (even and odd) or those who have earned any number of credit in odd semester.

iii. **Detained**, i.e., those who are not promoted as per the above provisions shall be detained. Such students have to appear in the examination of next academic session to earn required credits (excluding the credits already earned) as per the provisions of this Ordinance and only then he/she may continue the programme within stipulated period as per the provisions of this Ordinance.

f) However, a student of any semester who has been detained/not appeared in examination due to less attendance/not applied for examination/ applied but not appeared shall be out from the programme. Such a student has to take admission in the next session as an ex-student through the procedure adopted/notified by the University.

29. Continuous Internal Assessment:

a) Continuous Internal Assessment shall be of 30% marks of total marks allotted for the course.

b) The components for continuous internal assessment for each course shall be decided by the Board of Studies of concerned subject.

c) Continuous Internal assessment shall be carried forward in case of promoted (ATKT) students, there shall not be any provision of conducting internal assessment tests for promoted (ATKT) students under any circumstances.

30. Evaluation and Certification of MOOCS and Vocational Courses:

The guidelines of the University/SWAYAM portal/UGC shall be followed for evaluation and certification of MOOCs, Vocational Courses, Field Projects/Internship/ Apprenticeship/ Community engagement and service/ Research Project.

31. Letter Grades and Grade Points:

The Semester Grade Point Average (SGPA) is computed from the grades as a measure of the student's performance in a given semester. The SGPA is based on the grades of the current term, while the Cumulative GPA (CGPA) is based on the grades in all courses taken after joining the programme of study.

The University may also mention marks obtained in each course and a weighted average of marks based on marks obtained in all the semesters taken together for the benefit of students.

Table-3: Grading System

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
O	10	Outstanding	>90 to <=100
A+	9	Excellent	>80 to <=90
A	8	Very Good	>70 to <=80
B+	7	Good	>60 to <=70
B	6	Above Average	>50 to <=60
C	5	Average	>40 to <=50
P	4	Pass	=40
F	0	Fail	<40
Ab	0	Absent	Absent

Computation of SGPA and CGPA :

Computation of SGPA and CGPA shall be as per the recommendations of UGC; the following procedure shall be adopted to compute the Semester Grade Point Average (SGPA) and Cumulative Grade Point Average (CGPA):

i. The SGPA is the ratio of the sum of the product of the number of credits with the grade points scored by a student in all the course taken by a student and the sum of the number of credits of all the courses undergone by a student, i.e.

$SGPA (S_i) = \Sigma(C_i \times G_i) / \Sigma C_i$

Where C_i is the number of credits of the i^{th} course and G_i is the grade points scored by the student in the i^{th} course.

Example for Computation of SGPA:

Semester	Course	Credit	Letter Grade	Grade Point	(Credit x Grade)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Course 1	3	A	8	3 X 8 = 24
1	Course 1	4	B+	7	4 X 7 = 28
1	Course 1	3	B	6	3 X 6 = 18
1	Course 1	3	O	10	3 X 10 = 30
1	Course 1	3	C	5	3 X 5 = 15
1	Course 1	4	B	6	4 X 6 = 24
		20			139
SGPA = 139/20 = 6.95					

ii. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) is also calculated in the same manner taking into account all the courses undergone by a student over all the semesters of a programme, i.e.

$CGPA = \Sigma(C_i \times S_i) / \Sigma C_i$

Where S_i is the SGPA of the i^{th} semester and C_i is the total number of credits in that semester.

Example for Computation of CGPA:

Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4
(1)	(2)	(3)	(4)
Credit 20 SGPA 6.9	Credit 20 SGPA 7.8	Credit 20 SGPA 5.6	Credit 20 SGPA 6.0
CGPA = (20 X 6.9 + 20 X 7.8 + 20 X 5.6 + 20 X 6.0)/80 = 6.58			

The SGPA and CGPA shall be rounded off to 2 decimal points and reported in the transcripts. On completing all requirements for the award of the undergraduate certificate/ diploma/ degree, the CGPA shall be calculated, and this value shall be indicated on the certificate/diploma/degree. The 3-year (6 semester) undergraduate degrees should also indicate the Division obtained as per Table 4:

Table 4: Distribution of Divisions

Division	Criterion
(1)	(2)
First division with distinction	If the student earns minimum number of credits for the award of the degree with CGPA of 7.5 or above
First division	If the student earns minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 6.0 above but less than 7.5
Second division	If the student earns minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.5 or above but less than 6.0
Third division	If the student earns minimum number of credits required for the award of the degree with CGPA of 4.00 or above but less than 4.5

Note :- The conversion of CGPA into percentage shall be as follows to facilitate its application in other academic matters.

Equivalent Percentage = CGPA x 10 the percentage shall be rounded off up to the second decimal point.

The Candidate shall be awarded a certificate/diploma/degree when he/she successfully earns the minimum required credits for the certificate/ diploma/ degree.

32. Rules for Promotion:

a. A student shall be promoted and may take admission in the 2nd semester immediately after the 1st semester end examination irrespective of any number of back papers.

b. A student may take admission in the 3rd semester provisionally, immediately after the 2nd semester end examination and his/her admission shall be confirmed and she/he shall be promoted to the 3rd semester provided he/she has earned minimum 50% credits including both 1st and 2nd semester.

c. A student shall be promoted and may take admission in the 4th semester immediately after the 3rd semester irrespective of any number of back papers in 3rd semester.

d. A student may take admission in the 5th semester provisionally, immediately after the 4th semester examination and his/her admission shall be confirmed and he/she shall be promoted to the 5th semester provided he/she has earned minimum 50% credits including both 3rd and 4th semesters, Further student must clear all the papers of 1st and 2nd semesters.

e. A student shall be promoted and may take admission in the 6th semester immediately after the 5th semester with any number of back papers.

f. Examination of back papers of odd semesters shall be conducted along with odd semesters and examinations, similarly examinations of back papers of even semesters shall be conducted along with even semester end examinations.

g. Further, a special examination of the 5th semester shall be conducted along with the 6th semester for the students who have cleared all the papers till 4th semester.

h. A special examination of the 4th semester shall be conducted after the declaration of end semester result, those students having back papers only in the 6th semester shall be eligible to appear in this special examination.

i. A student may take admission in the 7th semester (Fourth year of UG) only after clearing all the semesters up to the 6th semester.

j. A student shall be promoted and may take admission in 8th semester (Fourth year of UG) provisionally, immediately after the 7th semester examination irrespective of number of back papers in the 7th semester. Further, a special examination of the 7th semester shall be conducted along with the 8th semester for clearing the back papers of 7th semester.

k. A special examination of the 8th semester shall be conducted soon after declaration of the semester result. Any student having back papers in 8th semester shall be eligible to appear in this special examination.

l. A student may choose honors course in the fourth year before the commencement of the fourth year by applying for the same, in a manner laid down for the same. A four year UG Honors degree in the major discipline shall be awarded to those who complete a four-year degree programme with greater or equal to 160 credits as per Table 5.

m. Further students who secure 75% marks or above or equivalent 7.5 CGPA in the first six semesters and wish to undertake research at the undergraduate level can choose a research stream in the fourth year. They should do a research project or dissertation under the guidance of a faculty member of the department. The research project/dissertation shall be in the major discipline. The research outcomes of their project work may be published in peer-reviewed journals or may be-presented in conferences/seminars or may be patented.

n. In case a student is detained or not promoted to higher semester, he/she shall be held up till the backlog papers are cleared for which he/she can take attempt in the next appropriate examination provided that the same is done within the maximum duration allowed for the programme. Continuous internal assessment marks of such students shall be carried forward for the corresponding course in which he/she is appearing.

o. For counting 50% credits both theory as well as practical courses shall be considered and 0.5 shall be rounded up.

33. Issue of Transcript:

Based on the recommendations on Letter grades, grade points and SGPA and CGPA, the university shall issue the transcript for each semester and a consolidated transcript indicating the performance in all semesters.

34. Credit Transfer:

a) The credit transfer shall be implemented as per the policy of the University framed in accordance with the guidelines issued by the UGC from time to time.

b) The member institutions of the Academic Bank of Credit established vide University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations 2021 shall accept and transfer the credits as per the provisions of this regulation as amended from time to time.

c) Except for the cases of provisional promotions, the university shall facilitate credit transfer of students between them However, the student may be required to fulfill some eligibility criteria, drawing parity for a course, framed by the University in which the student seeks admission.

35. General

a) There shall be no provision for repeat or improvement of the programme, once a student has cleared it.

b) There shall be a provision for Revaluation & Retotaling.

c) Exit options shall be available only at the end of even semesters and entry options shall be available only in the beginning of odd semesters with the prevailing syllabus.

d) If a student appears for 2nd semester end examination and discontinues for 3rd semester and wishes to take admission for 4th semester in future, shall be not be allowed for 4th semester. Such a student shall have to seek admission in 3rd semester, as per University regulation. This is also applicable to other odd semesters.

e) Any points related to NHEQF not covered by this Ordinance shall be as prescribed by the University through Ordinance/regulation/guidelines from time to time.

f) If any question arises related to the matters not covered in the Ordinance, the relevant provisions made in the ordinance/statutes of the university or UGC shall be applicable.

g) Any points related to ABC and multiple entry and exit which are not covered in this ordinance shall be dealt with as per the regulations of the University in accordance with the provisions of UGC guidelines/regulations issued by, from time to time.

h) If any dispute arises pertaining to the interpretation of the provisions of this Ordinance, if shall be referred to the Board of Management for its opinion.

i) The guidelines, related to this Ordinance, issued from time to time by the statutory bodies e.g. UGC or any other relevant regulatory body shall be adopted for implementation.

j) In matters not covered under this Ordinance, general rules and regulations of the University shall be applicable.

k) UGC amendment notifications, if any, shall be deemed to have been incorporated in the existing Ordinance, mutatis mutandis by the University.

l) Notwithstanding the above, the University shall ensure that the study programme leading to award of degree/diploma/certificate shall conform, to the standard set by the relevant regulations and norms of the UGC or the relevant statutory body.

Table 5

Table: Sample UGCF for Multidisciplinary Course of Study

Semester	Core (DSC)	Elective (DES)	Generic Elective (GE)	Ability Enhancement Course (ABC)	Skill Enhancement Course (SEC)	Internship / Apprenticeship/Project)2)	Value addition Course	Total Credits
I	Discipline A-1(4) Discipline B-1(4) Discipline C-1(4)		Choose one from a pool of courses GE-1(4)	Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
II	Discipline A-2(4) Discipline B-2(4) Discipline C-2(4)		Choose one from a pool of courses GE-2(4)	Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one from a pool of courses (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study after securing the requisite 44 credits in semester I and II								Total = 44 Credit
III	Discipline A-3(4) Discipline B-3(4) Discipline C-3(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) or Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/community outreach (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
IV	Discipline A-4(4) Discipline B-4(4) Discipline C-4(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4) or Choose one from a pool of courses GE-3(4)		Choose one from a pool of ABC courses (2)	Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/ Project/community outreach (2)		Choose one from a pool of courses (2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded undergraduate certificated (in the Field of Multidisciplinary study after securing the requisite 88 credits on completion of semester IV								Total = 88 Credit

V	Discipline A-5(4) Discipline B-5(4) Discipline C-5(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-5(4)		Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		22 Credits
VI	Discipline A-6(4) Discipline B-6(4) Discipline C-6(4)	Choose one from a pool of courses DSE A/B/C (4)	Choose one from a pool of courses GE-6(4)		Choose one SEC OR Internship/Apprenticeship/Project/community outreach (2)		22 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) after securing the requisite 132 credits on completion of semester VI							Total = 132 Credits
VII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 7,8 & 9 (Total = 12)				Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	22 Credits
VIII	DSC-(4)	Choose three DSE (3x4) courses OR Choose two DSE (2x4) and one GE(4) course OR Choose one DSE and two GE(4) courses OR All three GE 10,11 & 12 (Total = 12)				Dissertation on Major (4+2) OR Dissertation on Minor (4+2) OR Academic project/Entrepreneurship (4+2)	22 Credits
Students on exit shall be awarded Bachelor of (in the Field of Multidisciplinary study) (Honors or Honors with Academic Project/Entrepreneurship) after securing the requisite 176							Total = 176 Credits

University Logo

FIRST SEMESTER

ANNEXURE -S-1

Logo in water mark

----- Name of the University -----

GRADE SHEET

Name of the Programme:-
Name of the University:-
Address of the University:-

Batch	Year
Enrollment No.	Roll No.
Name of the Student	Examination
Father's/Husband's Name	Mother's Name

Programme Code	Programme Title	Credits	Grade	Grade Point	Credit Points (Credits x Grade Point)
	Programme 1	6	A	8	48
	Programme 2	6	C	5	30
	Programme 3	4	B+	7	28
	Programme 4	4	O	10	40
TOTAL		20			146
SGPA		146/20			7.30

* Grade in Repeat Examination

RESULT SEMESTER WISE								
SEMESTER	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII
TOTAL CREDITS								
OBTAINED CREDITS								
ADDITIONAL CREDITS								
SGPA								
ATTEMPT								
RESULT								

#SGPA -Semester Grade Point Average
CGPA - Cumulative Grade Point Average Equivalent percentage = CGPA x10

Date of Result

Controller of Examination **Registrar**